



# स्थानीय राजपत्र

## सुनकोशी गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशित

खण्ड-९ सङ्ख्या-१ सुनकोशी स्थानीय राजपत्र प्रकाशित मिति २०८१/०३/१०

### भाग-१

सुनकोशी गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको सूचना

नेपालको संविधान बमोजिम गाउँ सभाले बनाएको तल लेखिए बमोजिमको  
ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको छ।

आर्थिक ऐन, २०८१

प्रस्तावना :-

सुनकोशी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अर्थ  
सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा

शूलक सङ्कलन गर्ने, छुट दिने तथा आय सङ्कलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम सुनकोशी गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट स्वीकृत गरी यो ऐन बनाएको छ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "आर्थिक ऐन, २०८१" रहेको छ।

(२) यो ऐन २०८१ साल श्रावण १ गतेदेखि सुनकोशी गाउँपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ।

२. सम्पत्ति कर : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची बमोजिमको दरमा सम्पत्ति कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ।

३. घर वहाल कर : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले वहालमा दिएकोमा अनुसूची बमोजिम घर जग्गा वहाल कर लगाइने र असुल गरिनेछ।

४. घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क :- कोशी प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ र गाउँपालिकाले असुलउपर गरिनेछ।

५. सवारी साधन (सानो सवारी) कर: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र चल्ने सवारी साधन कर कोशी प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ

र अटो रिक्सा, ईलेक्ट्रिक रिक्सा, पठाओ जस्ता साना सवारी साधनको कर गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको दरमा सङ्कलन गरिनेछ।

६. विज्ञापन कर: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र राखिने होर्डिङ बोर्ड, साइन बोर्ड, ब्यानर, ट्राइभिजन बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, स्टल, धातुको फ्रेम वा कुनै स्थानमा लगाउने लेखे वा विद्युतीय तरंग प्रयोग गरिएको प्रचारको लागि राखिने वस्तु वा सामाग्रीमा गरिने विज्ञापनमा अनुसूची बमोजिमको दरमा विज्ञापन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ।
७. व्यवसाय कर : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा अनुसूची बमोजिम वार्षिक व्यवसाय कर एकमुष्ट रुपमा लगाइने र असुल उपर गरिनेछ।
८. भूमि कर (मालपोत) : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची बमोजिम जग्गा वर्गीकरणको आधारमा भूमि कर (मालपोत) लगाइने र असुल उपर गरिने छ।
९. मनोरञ्जन कर : गाउँपालिका क्षेत्रमा चलचित्र घर, सांस्कृतिक प्रदर्शन, हल, कन्सर्ट, दोहोरी साँझ, नाईट घर, फन पार्क, वाटर गार्डेन, बाल उद्यान, डान्स बार, क्यासिनो, फूटसल, नाईट क्लब जस्ता मनोरञ्जन स्थलमा कोशी

प्रदेशले तोकेको दरमा कानून अनुसार हुनेछ। यसरी सङ्कलित रकमको बाँडफाँड प्रदेश कानून अनुसार हुनेछ।

१०. सेवा शुल्क दस्तुर: गाउँपालिकाले गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था र वडा कार्यालयहरूबाट उपलब्ध गराइने सेवामा अनुसूची अनुसार सेवा शुल्क दस्तुर लगाइनेछ।

११. वन पैदावार, जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता वस्तुको व्यवसायिक कारोबार गरेबापत अनुसूची बमोजिम कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ।

१२. पर्यटन शुल्क : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र उद्यान, पार्क, ऐतिहसिक तथा पुरातात्विक सम्पदा र सङ्ग्रहालय जस्ता सम्पदाहरूको उपयोगको प्रवेश शुल्क गाउँपालिकाले निर्धारण गरे बमोजिम दररेटमा सङ्कलन गरिनेछ।

१३. पार्किङ शुल्क : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए बापत अनुसूची बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।



१४. नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा (दहत्तर, बहत्तर) शुल्क  
: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र माटो, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा दहत्तर बहत्तर कर सङ्कलन लागि सुनकोशी गाउँपालिकाले निर्णय गरी कोशी प्रदेशले तोकेको दरमा शुल्क लगाईनेछ। यसरी सङ्कलित रकमको बाँडफाँड प्रदेश कानून अनुसार हुनेछ।
१५. खानीजन्य पदार्थ स्लेट ढुङ्गा, चुन, ढुङ्गा, खरिढुङ्गा, को शुल्क : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र खानीजन्य पदार्थ (स्लेट, ढुङ्गा, चुनढुङ्गा) को IEE प्रतिवेदन तयार गरिनेछ र प्रतिवेदनमा निस्किएको परिमाणलाई आधार मानी ठेक्का आव्हान गरी गाउँपालिकाले तोकेको शुल्क लगाईनेछ।
१६. बहाल बिटौरी कर शुल्क : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण रेखदेख वा सञ्चालन गरेका हाट बजार वा पसल वा सरकारी जग्गामा बनेको संरचनाको उपयोग बापत अनुसूची बमोजिम बहाल विटौरी शुल्क लगाईने र असुल गरिनेछ।
१७. कर तथा शुल्क सङ्कलन सम्बन्धी कार्यविधि : यस ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क सङ्कलन सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि सुनकोशी गाउँपालिकाले तोके अनुसार

हुनेछ। साथै प्रदेश कानून बमोजिम सङ्कलन गर्नुपर्ने करका दर सोही कानून बमोजिम सङ्कलन गरिनेछ

१८. कर छुट : यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनै किसिमको कर तथा शुल्क छुट दिईने छैन।

१९. दण्ड जरिवाना : गाउँपालिकामा कर शुल्क दस्तुर बुझाउनु पर्ने दायित्व भएका व्यक्ति संस्था वा निकायले यस ऐन बमोजिम तोकिएको कर शुल्क र दस्तुर नबुझाएमा वार्षिक दश प्रतिशतका दरले र व्यवसाय दर्ता, नवीकरण तथा सूचीकरण निर्देशिकाले तोके बमोजिम जरिवाना लगाई कर सङ्कलन गरिनेछ।

२०. अन्य : यस ऐनमा उल्लेख नभएका तर कर सङ्कलनमा छुट भएका विषयहरुमा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले तोकिए बमोजिम वा अनुसूची बमोजिम हुनेछ।

| अनुसूची १ -<br>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ५५ सँग सम्बन्धीत<br>गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र लगाउन सक्ने सम्पत्ति करको दररेट |               |      |               |      |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|------|------------------------------|
| क्र.सं.                                                                                                                            | मूल्यांकन रकम |      |               |      | एकीकृत सम्पत्तिकरवार्षिक रु. |
| १                                                                                                                                  | १             | देखि | १ लाख २५ हजार | सम्म | २५                           |
| २                                                                                                                                  | १ लाख २५ हजार | देखि | १ लाख ५० हजार | सम्म | ३०                           |
| ३                                                                                                                                  | १ लाख ५० हजार | देखि | १ लाख ७५ हजार | सम्म | ३५                           |
| ४                                                                                                                                  | १ लाख ७५ हजार | देखि | २ लाख         | सम्म | ४०                           |
| ५                                                                                                                                  | २ लाख         | देखि | २ लाख २५ हजार | सम्म | ४५                           |
| ६                                                                                                                                  | २ लाख २५ हजार | देखि | २ लाख ५० हजार | सम्म | ५०                           |
| ७                                                                                                                                  | २ लाख ५० हजार | देखि | ३ लाख         | सम्म | ६०                           |
| ८                                                                                                                                  | ३ लाख         | देखि | ३ लाख ५० हजार | सम्म | ७०                           |
| ९                                                                                                                                  | ३ लाख ५० हजार | देखि | ४ लाख         | सम्म | ८०                           |
| १०                                                                                                                                 | ४ लाख         | देखि | ४ लाख ५० हजार | सम्म | ९०                           |
| ११                                                                                                                                 | ४ लाख ५० हजार | देखि | ५ लाख         | सम्म | १००                          |
| १२                                                                                                                                 | ५ लाख         | देखि | ६ लाख         | सम्म | १२०                          |
| १३                                                                                                                                 | ६ लाख         | देखि | ७ लाख         | सम्म | १४०                          |
| १४                                                                                                                                 | ७ लाख         | देखि | ८ लाख         | सम्म | १६०                          |
| १५                                                                                                                                 | ८ लाख         | देखि | ९ लाख         | सम्म | १८०                          |
| १६                                                                                                                                 | ९ लाख         | देखि | १० लाख        | सम्म | २००                          |

खण्ड-८ भाग-१ सङ्ख्या-१ सुनकोशी स्थानीय राजपत्र प्रकाशित मिति २०८१/०३/१०

|    |          |      |        |      |      |
|----|----------|------|--------|------|------|
| १७ | १० लाख १ | देखि | १२ लाख | सम्म | २५०  |
| १८ | १२ लाख १ | देखि | १४ लाख | सम्म | २८०  |
| १९ | १४ लाख १ | देखि | १६ लाख | सम्म | ३२०  |
| २० | १६ लाख १ | देखि | १८ लाख | सम्म | ३६०  |
| २१ | १८ लाख १ | देखि | २० लाख | सम्म | ४००  |
| २२ | २० लाख १ | देखि | २२ लाख | सम्म | ५००  |
| २३ | २२ लाख १ | देखि | २४ लाख | सम्म | ६२५  |
| २४ | २४ लाख १ | देखि | २६ लाख | सम्म | ७५०  |
| २५ | २६ लाख १ | देखि | २८ लाख | सम्म | ८७५  |
| २६ | २८ लाख १ | देखि | ३० लाख | सम्म | १००० |
| २७ | ३० लाख १ | देखि | ३४ लाख | सम्म | १२०० |
| २८ | ३४ लाख १ | देखि | ३८ लाख | सम्म | १६५० |
| २९ | ३८ लाख १ | देखि | ४२ लाख | सम्म | २१०० |
| ३० | ४२ लाख १ | देखि | ४६ लाख | सम्म | २५५० |
| ३१ | ४६ लाख १ | देखि | ५० लाख | सम्म | ३००० |
| ३२ | ५० लाख १ | देखि | ६० लाख | सम्म | ३५०० |
| ३३ | ६० लाख १ | देखि | ७० लाख | सम्म | ४५०० |
| ३४ | ७० लाख १ | देखि | ८० लाख | सम्म | ५५०० |
| ३५ | ८० लाख १ | देखि | ९० लाख | सम्म | ७५०० |
| ३६ | ९० लाख १ | देखि | १ करोड | सम्म | ८५०० |

CS Scanned with CamScanner



|    |                    |      |              |      |                |
|----|--------------------|------|--------------|------|----------------|
| ३७ | १ करोड १           | देखि | १ करोड २०लाख | सम्म | १००००          |
| ३८ | १ करोड २०लाख १     | देखि | १ करोड ४०लाख | सम्म | १२०००          |
| ३९ | १ करोड ४०लाख १     | देखि | १ करोड ६०लाख | सम्म | १४०००          |
| ४० | १ करोड ६०लाख १     | देखि | १ करोड ८०लाख | सम्म | १६०००          |
| ४१ | १ करोड ८०लाख १     | देखि | २ करोड       | सम्म | १८०००          |
| ४२ | २ करोड १           | देखि | २ करोड ५०लाख | सम्म | २२०००          |
| ४३ | २ करोड ५०लाख १     | देखि | ३ करोड       | सम्म | २८०००          |
| ४४ | ३ करोड १           | देखि | ३ करोड ५०लाख | सम्म | ३५०००          |
| ४५ | ३ करोड ५०लाख १     | देखि | ४ करोड       | सम्म | ४२०००          |
| ४६ | ४ करोड १           | देखि | ४ करोड ५०लाख | सम्म | ५००००          |
| ४७ | ४ करोड ५०लाख १     | देखि | ५ करोड       | सम्म | ६००००          |
| ४८ | ५ करोड १ देखि माथि |      |              |      | रु २ प्रतिहजार |

माथि उल्लेख भए अनुसारको सम्पति कर गाउँपालिकाले घर नक्सा सम्बन्धी कानुन बनाइ घरको मुल्याङ्कन गरेपछि लागु हुने छ । गाउँपालिकाले घर नक्सा सम्बन्धी कानुन बनाई लागु नगरेसम्मको लागि तलबशिल बमोजिम घरधुरी कर सँकलन गरिने छ ।

#### घरधुरी कर :

| क्र.सं | घरको प्रकार                 | दस्तुर रु. | कैफियत |
|--------|-----------------------------|------------|--------|
| १.     | कच्ची घर                    | ५०         |        |
| २.     | पक्की १ तला सम्म            | २००        |        |
| ३.     | पक्की ३ तला सम्म            | ५००        |        |
| ४.     | पक्की ४ तला वा सो भन्दा बढी | १०००       |        |

अनुसूची-४

स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ५८ सँगसम्बन्धीत  
गाउँपालिकाले आफ्नोक्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने व्यवसाय कर

| क्र.सं. | विवरण                   | प्रकार                            | नविकरण करको दर रु. | दर्ता वा कर शुल्क | क ख ग घ मुल्याङ्कन अनिकतम पूँजी वार्षिक |
|---------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| १       | खुद्रा किराना पसल       | क श्रेणी -२० लाख भन्दा माथि       | २०००/-             | ५०००/-            | २० लाख माथि                             |
|         |                         | ख श्रेणी - १०लाख देखी २० लाख सम्म | १,५००/-            | ३०००/-            | १० देखि २० लाख सम्म                     |
|         |                         | ग श्रेणी १० - ला ख सम्म           | १,०००/-            | १५००              | १० लाख सम्म                             |
| २       | थोक किराना              | क श्रेणी १५- लाख माथि             | २५००/-             | ५०००              | २० लाख माथि                             |
|         |                         | ख श्रेणी १५ - लाख सम्म            | २०००/-             | ३०००              | १० देखि २० लाख सम्म                     |
|         |                         | ग श्रेणी १० - ला ख सम्म           | १,५००/-            | १५००              | १० लाख सम्म                             |
| ३       | होटल एण्ड लज तथा पर्यटन | क श्रेणी                          | ५०००/-             | १५०००             | ५० लाख माथि                             |
|         |                         | ख श्रेणी                          | २५००/-             | ८०००              | २५ लाख माथि                             |
|         |                         | ग श्रेणी                          | २२००/-             | ७०००              | १० लाख माथि                             |
| ४       | होटल                    | क श्रेणी                          | १५००/-             | ३०००              | १० माथि                                 |
|         |                         | ख श्रेणी                          | १०००/-             | २०००              | ५ देखि १० लाख                           |
|         |                         | ग श्रेणी                          | ५००/-              | १०००              | ५ लाख सम्म                              |
| ५       | लज व्यवसाय              | क श्रेणी                          | १०००/-             | २०००              | १० लाख माथि                             |
|         |                         | ख श्रेणी                          | ६००/-              | १०००              | १० लाख सम्म                             |
| ६       | रिसोर्ट                 | क श्रेणी                          | ५०००/-             | ५०००              | १० लाख माथि                             |
|         |                         | ख श्रेणी                          | ३५००/-             | ६०००              | १० लाख सम्म                             |
| ७       | रेष्टुरेन्ट             | क श्रेणी                          | १५००/-             | २०००              | १० माथि                                 |
|         |                         | ख श्रेणी                          | १२००/-             | १७००              | ५ देखि १० लाख                           |
|         |                         | ग श्रेणी                          | ८००/-              | १३००              | ५ लाख सम्म                              |
| ८       | चिया नास्ता पसल         | क श्रेणी                          | ७००/-              | १०००              | ५ लाख माथि                              |

खण्ड-८ भाग-१ सङ्ख्या-१ सुनकोशी स्थानीय राजपत्र प्रकाशित मिति २०८१/०३/१०

|    |                                             |                     |         |      |               |
|----|---------------------------------------------|---------------------|---------|------|---------------|
|    |                                             | ख श्रेणी            | ५००/-   | ८००  | ५ लाख सम्म    |
|    |                                             | क श्रेणी            | २०००/-  | २००० | १० माथि       |
| ९  | कपडा पसल                                    | ख श्रेणी            | १५००/-  | १५०० | ५ देखि १० लाख |
|    |                                             | ग श्रेणी            | १०००/-  | १००० | ५ लाख सम्म    |
| १० | फेन्सी तथा तयारी पोशाक                      | क श्रेणी            | १५००/-  | २००० | १० माथि       |
|    |                                             | ख श्रेणी            | १२००/-  | १५०० | ५ देखि १० लाख |
|    |                                             | ग श्रेणी            | १०००/-  | १००० | ५ लाख सम्म    |
| ११ | कस्मेटिक पसल                                | क श्रेणी            | १५००/-  | २००० | १० माथि       |
|    |                                             | ख श्रेणी            | १२००/-  | १५०० | ५ देखि १० लाख |
|    |                                             | ग श्रेणी            | ८००/-   | १००० | ५ लाख सम्म    |
| १२ | निर्माण सामग्री तथा हार्डवेयर पसल           | क श्रेणी            | ४,०००/- | ६००० | १० माथि       |
|    |                                             | ख श्रेणी            | ३०००/-  | ५००० | ५ देखि १० लाख |
|    |                                             | ग श्रेणी            | २५००/-  | ४००० | ५ लाख सम्म    |
| १३ | भाडावर्तन पसल                               | क श्रेणी            | १५००/-  | २००० | १० माथि       |
|    |                                             | ख श्रेणी            | १०००/-  | १५०० | ५ देखि १० लाख |
| १४ | सुनचाँदी आदिकव गहना बनाउने तथा बिक्री गर्ने | क श्रेणी            | ३०००/-  | ५००० | १० माथि       |
|    |                                             | ख श्रेणी            | २०००/-  | ४००० | ५ देखि १० लाख |
|    |                                             | ग श्रेणी            | १०००/-  | ३००० | ५ लाख सम्म    |
| १५ | पत्रिका तथा पुस्तक पसल तथा स्टेशनरी पसल     | क श्रेणी            | १५००/-  | १५०० | १० लाख माथि   |
|    |                                             | ख श्रेणी            | १२००/-  | १००० | ५ देखि १० लाख |
|    |                                             | ग श्रेणी            | ८००/-   | ८००  | ५ लाख सम्म    |
| १६ | फोटो स्टुडियो                               | क श्रेणी            | १०००/-  | २००० | १० लाख माथि   |
|    |                                             | ख श्रेणी            | ८००/-   | १५०० | ५ देखि १० लाख |
|    |                                             | कलरल्याब मेशिन सहित | २०००/-  | २५०० | ५ लाख सम्म    |
| १७ | फोटोकपी टेलिफोन सेवा तथा कुरियर्स           | क श्रेणी            | ८००/-   | १००० | १० लाख माथि   |
|    |                                             | ख श्रेणी            | ५००/-   | ८००  | ५ देखि १० लाख |
| १८ | कम्प्युटर प्रशिक्षण                         | क श्रेणी            | २०००/-  | ३००० | १० लाख माथि   |
|    |                                             | ख श्रेणी            | १५००/-  | २००० | ५ देखि १० लाख |
|    |                                             | ग श्रेणी            | १०००/-  | १५०० | ५ लाख सम्म    |
| १९ | सिलाई बुनाई तथा पेन्टिङ प्रशिक्षण           | क श्रेणी            | ८००/-   | १००० | १० लाख माथि   |
|    |                                             | ख श्रेणी            | ५००/-   | ८००  | ५ देखि १० लाख |



|    |                                                               |          |        |      |               |
|----|---------------------------------------------------------------|----------|--------|------|---------------|
| २० | घडी, रेडीयो क्यासेट<br>बिक्री पसल मोबाइल<br>विक्री तथा डिसहोम | क श्रेणी | २५००/- | ३००० | १० लाख माथि   |
|    |                                                               | ख श्रेणी | २०००/- | २००० | ५ देखि १० लाख |
|    |                                                               | ग श्रेणी | १५००/- | २००० | ५ लाख सम्म    |
| २१ | घडी, रेडीयो क्यासेट मर्मत                                     | क श्रेणी | १०००/- | १५०० | १० लाख माथि   |
|    |                                                               | ख श्रेणी | ८००/-  | १००० | ५ देखि १० लाख |
|    |                                                               | ग श्रेणी | ६००/-  | ८००  | ५ लाख सम्म    |
| २२ | मोटरसाइकल मर्मत                                               | क श्रेणी | १५००/- | ३००० | १० लाख माथि   |
|    |                                                               | ख श्रेणी | १०००/- | २००० | ५ लाख सम्म    |
| २३ | ग्रिल सम्बन्धी मर्मत तथा<br>निर्माण                           | क श्रेणी | १५००/- | २००० | १० लाख माथि   |
|    |                                                               | ख श्रेणी | १०००/- | १५०० | ५ लाख सम्म    |
| २४ | जुता चप्पल पसल                                                | क श्रेणी | १२००/- | १५०० | १० लाख माथि   |
|    |                                                               | ख श्रेणी | १०००/- | १२०० | ५ देखि १० लाख |
|    |                                                               | ग श्रेणी | ८००/-  | १००० | ५ लाख सम्म    |
| २५ | टेलिभिजन बिक्री डिसहोम<br>डिलरवाल रिचार्ज                     | क श्रेणी | २०००/- | २००० | १० लाख माथि   |
|    |                                                               | ख श्रेणी | १५००/- | १५०० | ५ लाख सम्म    |
| २६ | चिया, नास्ता, खुद्रा तथा<br>मिश्रित गुम्तीपसल                 | क श्रेणी | ८००/-  | १००० | १० लाख माथि   |
|    |                                                               | ख श्रेणी | ५००/-  | ८००  | ५ लाख सम्म    |
| २७ | सञ्जीपसल                                                      | क श्रेणी | १०००/- | १२०० | १० लाख माथि   |
|    |                                                               | ख श्रेणी | ६००/-  | ८००  | ५ लाख सम्म    |
|    | सञ्जीयोक्त बिक्री                                             |          | १५००/- | १००० | ५ लाख सम्म    |
| २८ | मासु पसल                                                      | क श्रेणी | १०००/- | १५०० | ५ लाख माथि    |
|    |                                                               | ख श्रेणी | ५००/-  | ८००  | ५ लाख सम्म    |
| २९ | विउ विजन कृषि सामग्री                                         | क श्रेणी | १०००/- | १००० | १० लाख माथि   |
|    |                                                               | ख श्रेणी | ८००/-  | ८००  | ५ देखि १० लाख |
|    |                                                               | ग श्रेणी | ५००/-  | ५००  | ५ लाख सम्म    |
| ३० | सैलुन                                                         | क श्रेणी | १०००/- | १००० | ५ लाख माथि    |
|    |                                                               | ख श्रेणी | ५००/-  | ८००  | ५ लाख सम्म    |
| ३१ | फर्निचर पसल                                                   | क श्रेणी | १५००/- | ५००० | ५ लाख माथि    |



खण्ड-८ भाग-१ सङ्ख्या-१ सुनकोशी स्थानीय राजपत्र प्रकाशित मिति २०८१/०३/१०

|    |                                          |                 |        |       |               |
|----|------------------------------------------|-----------------|--------|-------|---------------|
|    |                                          | ख श्रेणी        | १०००/- | २०००  | ५ लाख सम्म    |
| ३२ | टेलर्स                                   | क श्रेणी        | १३००/- | १०००  | १० लाख माथि   |
|    |                                          | ख श्रेणी        | १०००/- | ८००   | ५ देखि १० लाख |
|    |                                          | ग श्रेणी        | ५००/-  | ५००   | ५ लाख सम्म    |
| ३३ | अधिकृत विक्रेता                          | क श्रेणी        | ३०००/- | ५०००  | १० लाख माथि   |
|    |                                          | ख श्रेणी        | २५००/- | ३०००  | ५ देखि १० लाख |
|    |                                          | ग श्रेणी        | २०००/- | २५००  | ५ लाख सम्म    |
| ३४ | डीजल, मट्टितेल, पेट्रोल पम्प             | खुद्रा व्यापारी | ५०००   | १०००० |               |
|    | डिजल, मट्टितेल, पेट्रोल पम्प             | पेट्रोल पम्प    | ५०००/- | १०००० |               |
| ३५ | ऊन होजियारी पसल                          | क श्रेणी        | ६००/-  | १०००  | ५ लाख माथि    |
|    |                                          | ख श्रेणी        | ४००/-  | ५००   | ५ लाख सम्म    |
| ३६ | औषधी पसल /नर्सिङ्गहोमक्लिनिक / तथा ल्याब | क श्रेणी        | १५००/- | १०००० | १० लाख माथि   |
|    |                                          | ख श्रेणी        | १०००/- | ८०००  | ५ देखि १० लाख |
|    |                                          | ग श्रेणी        | ८००/-  | ५०००  | ५ लाख सम्म    |
| ३७ | चटपटे पसल                                | क श्रेणी        | ८००/-  | १०००  | १ लाख माथि    |
|    |                                          | ख श्रेणी        | ५००/-  | ८००   | एक लाख सम्म   |
| ३८ | पुल स्तुकर                               | क श्रेणी        | १०००/- | १५००  | ५ लाख माथि    |
|    |                                          | ख श्रेणी        | ५००/-  | १०००  | ५ लाख सम्म    |
| ३९ | कुटन, पिसन, तेलहन मिल                    | क श्रेणी        | १५००/- | १५००  | १० लाख माथि   |
|    |                                          | ख श्रेणी        | १०००/- | १०००  | ५ देखि १० लाख |
|    |                                          | ग श्रेणी        | ८००/-  | ८००   | ५ लाख सम्म    |
| ४० | हस्तकला सामानको पसल                      | क श्रेणी        | ८००/-  | १०००  | ५ लाख माथि    |
|    |                                          | ख श्रेणी        | ५००/-  | ८००   | ५ लाख सम्म    |
| ४१ | फर्निचर उद्योग                           | क श्रेणी        | २०००/- | ५०००  | ५ लाख माथि    |
|    |                                          | ख श्रेणी        | १५००   | ३०००  | ५ लाख सम्म    |

CS Scanned with CamScanner

|    |                              |                |        |      |            |
|----|------------------------------|----------------|--------|------|------------|
| ४२ | पोल्डी फर्म                  | क श्रेणी       | १०००   | १५०० | ५ लाख माथि |
|    |                              | ख श्रेणी       | ५००/-  | १००० | ५ लाख सम्म |
| ४३ | सबै खाले संकलन व्यवसाय       | प्रतिकेजी पटके |        | ५    |            |
| ४४ | बिरुवा नर्सरी                | क श्रेणी       | ५००/-  | १००० | ५ लाख माथि |
|    |                              | ख श्रेणी       | ३००/-  | ५००  | ५ लाख सम्म |
| ४५ | गिफ्ट पसल                    | क श्रेणी       | ८००/-  | १००० | ५ लाख माथि |
|    |                              | ख श्रेणी       | ५००/-  | ८००  | ५ लाख सम्म |
| ४६ | कानूनी तथा प्राविधिक परामर्श | क श्रेणी       | २५००/- | ५००० | ५ लाख माथि |
|    |                              | ख श्रेणी       | १५००/- | ३००० | ५ लाख सम्म |

खण्ड-८ भाग-१ सङ्ख्या-१ सुनकोशी स्थानीय राजपत्र प्रकाशित मिति २०८१/०३/१०

|    |                                       |                                        |          |            |            |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------|----------|------------|------------|
|    |                                       |                                        |          | १२०००      |            |
| ४७ | वित्तीय सेवा वार्षिक कर               | वाणिज्य बैंक                           | १०,०००/- | १००००      |            |
|    |                                       | विकास बैंक                             | ८,०००/-  | २०००       |            |
|    |                                       | लघुवित्त संस्था                        | ७,५००/-  | २०००       |            |
|    |                                       | बचत तथा ऋण सहकारी संस्था               | ४०००/-   | २०००       |            |
|    |                                       | उपभोक्ता सहकारी, कृषि तथा दुग्ध सहकारी | ३०००/-   | २०००       |            |
| ४८ | जडिबुटी व्यापार अलैची/चिराइतो/        | क श्रेणी                               | २०००/-   | १५००       |            |
|    |                                       | ख श्रेणी                               | १५००/-   | १५००       |            |
| ४९ | न्युटी पाल्टर                         | क श्रेणी                               | १०००/-   | ५ लाख माथि |            |
|    |                                       | ख श्रेणी                               | ५००/-    | ५ लाख सम्म |            |
| ५० | जग्गा खरिद बिक्री व्यवसाय             |                                        | ३०००/-   | ५०००       |            |
| ५१ | मदिरा खुद्रा बिक्री                   | क श्रेणी                               | १५००/-   | ५ लाख माथि |            |
|    |                                       | ख श्रेणी                               | १०००/-   | ५ लाख सम्म |            |
| ५० | दुग्ध संकलन केन्द्र दुग्ध जन्य उद्योग | क श्रेणी                               | १०००/-   | १५००       | ५ लाख माथि |
|    |                                       | ख श्रेणी                               | ५००/-    | १०००       | ५ लाख सम्म |
| ५१ | साइबर व्यवसाय                         | क श्रेणी                               | १०००/-   | १५००       | ५ लाख माथि |
|    |                                       | ख श्रेणी                               | ५००/-    | १०००       | ५ लाख सम्म |

CS Scanned with CamScanner

|    |                               |                                        |          |       |            |
|----|-------------------------------|----------------------------------------|----------|-------|------------|
| ५२ | एको फर्म                      | क श्रेणी                               | २५००/-   | ३०००  | ५ लाख माथि |
|    |                               | ख श्रेणी                               | २०००/-   | २५००  | ५ लाख सम्म |
| ५३ | मनी ट्रान्सफर सेवा            | क श्रेणी                               | २५००/-   | ३०००  | ५ लाख माथि |
|    |                               | ख श्रेणी                               | १५००/-   | २०००  | ५ लाख सम्म |
| ५४ | घरेलु कृषि तथा पशुपालन        | क श्रेणी                               | १५००/-   | २०००  | ५ लाख माथि |
|    |                               | ख श्रेणी                               | १०००/-   | १५००  | ५ लाख सम्म |
| ५५ | फलफूल पसल                     | क श्रेणी                               | १०००/-   | १५००  | ५ लाख माथि |
|    |                               | ख श्रेणी                               | ५००/-    | १०००  | ५ लाख सम्म |
| ५६ | केबलनेटवर्क व्यवसाय           | दर्ता सिफारिस तथा नविकरण               | ३५००/-   | ५०००  |            |
| ५७ | एनटावर .सी.टि .               | दर्ता सिफारिस तथा नविकरण               | १००००/-  | ०     |            |
| ५८ | एन टावर सहित.सेल.सेवासञ्चालन  | दर्ता सिफारिस तथा नविकरण               | १५०००/-  | ०     |            |
| ५९ | अनलाइन नेटवर्क व्यवसाय        | दर्ता सिफारिस तथा नविकरण               | ३०००/-   | ५०००  |            |
| ४७ | वित्तीय सेवा वार्षिक कर       | वाणिज्य बैंक                           | १०,०००/- | १२००० |            |
|    |                               | विकास बैंक                             | ८,०००/-  | १०००० |            |
|    |                               | लघुवित्त संस्था                        | ७,५००/-  | २०००  |            |
|    |                               | बचत तथा ऋण सहकारी संस्था               | ४०००/-   | २०००  |            |
|    |                               | उपभोक्ता सहकारी, कृषि तथा दुग्ध सहकारी | ३०००/-   | २०००  |            |
| ४८ | जडिबुटी व्यापारअलैची/चिराइतो/ | क श्रेणी                               | २०००/-   | २०००  |            |
|    |                               | ख श्रेणी                               | १५००/-   | १५००  |            |



|    |                                       |          |        |      |            |
|----|---------------------------------------|----------|--------|------|------------|
| ४९ | ब्यूटी पार्सर                         | क श्रेणी | १०००/- | १५०० | ५ लाख माथि |
|    |                                       | ख श्रेणी | ५००/-  | १००० | ५ लाख सम्म |
| ५० | जरगा खरिद बिक्री व्यवसाय              |          | ३०००/- | ५००० |            |
| ४९ | मदिरा खुद्रा बिक्री                   | क श्रेणी | १५००/- | ५००० | ५ लाख माथि |
|    |                                       | ख श्रेणी | १०००/- | ३००० | ५ लाख सम्म |
| ५० | दुग्ध संकलन केन्द्र दुग्ध जन्य उद्योग | क श्रेणी | १०००/- | १५०० | ५ लाख माथि |
|    |                                       | ख श्रेणी | ५००/-  | १००० | ५ लाख सम्म |
| ५१ | साइबर व्यवसाय                         | क श्रेणी | १०००/- | १५०० | ५ लाख माथि |
|    |                                       | ख श्रेणी | ५००/-  | १००० | ५ लाख सम्म |
| ५२ | एगो फर्म                              | क श्रेणी | २५००/- | ३००० | ५ लाख माथि |
|    |                                       | ख श्रेणी | २०००/- | २५०० | ५ लाख सम्म |
| ५३ | मनी ट्रान्सफर सेवा                    | क श्रेणी | २५००/- | ३००० | ५ लाख माथि |
|    |                                       | ख श्रेणी | १५००/- | २००० | ५ लाख सम्म |
| ५४ | घरेलु कृषि तथा पशुपालन                | क श्रेणी | १५००/- | २००० | ५ लाख माथि |



|    |                              |                          |         |      |            |
|----|------------------------------|--------------------------|---------|------|------------|
|    |                              | ख श्रेणी                 | १०००/-  | १५०० | ५ लाख सम्म |
| ५५ | फलफूल पसल                    | क श्रेणी                 | १०००/-  | १५०० | ५ लाख माथि |
|    |                              | ख श्रेणी                 | ५००/-   | १००० | ५ लाख सम्म |
| ५६ | केबलनेटवर्क व्यवसाय          | दर्ता सिफारिस तथा नविकरण | ३५००/-  | ५००० |            |
| ५७ | एनटावर .सी.टी .              | दर्ता सिफारिस तथा नविकरण | १००००/- | ०    |            |
| ५८ | एन टावर सहित.सेल.सेवासञ्चालन | दर्ता सिफारिस तथा नविकरण | १५०००/- | ०    |            |
| ५९ | अनलाइन नेटवर्क व्यवसाय       | दर्ता सिफारिस तथा नविकरण | ३०००/-  | ५००० |            |

**अन्य थप**

|    | करोबार                                                                                                                                         | दर्ता वा कर | नविकरण |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| १. | <b>कार्पेट</b>                                                                                                                                 |             |        |
|    | क) थोक विक्रेता                                                                                                                                | ४०००        | १३००   |
|    | ख) खुद्रा विक्रेता                                                                                                                             | २०००        | ७००    |
| २. | <b>सेवा तथा उद्योग</b>                                                                                                                         |             |        |
|    | क) छापाखाना (ठुला)                                                                                                                             | ५०००        | १५००   |
|    | ख) छापाखाना-मझौला तथा साना दशलाख भन्दा कम पूँजी भएका)                                                                                          | ३०००        | १०००   |
|    | ग) परामर्श सेवा                                                                                                                                | २५००        | ८००    |
|    | घ) चलचित्र व्यवसाय                                                                                                                             | ३०००        | १०००   |
|    | ङ) सार्वजनिक परिवहन                                                                                                                            | ५०००        | १५००   |
|    | च) फोटोग्राफी                                                                                                                                  | ३०००        | १०००   |
|    | छ) प्रयोगशाला                                                                                                                                  | ३०००        | १०००   |
|    | ज) हवाई सेवा                                                                                                                                   | ५०००        | १५००   |
|    | झ) शीत भण्डार                                                                                                                                  | २०००        | ७००    |
| ३. | <b>निर्माण तथा औद्योगिक सेवा</b>                                                                                                               |             |        |
|    | क) सडक, पुल, रोपवे, रेलवे, टेलिक्स, टनेल, फ्लाईड बुज तथा औद्योगिक, व्यापारिक एवं आवास कम्प्लेक्स आदि निर्माण गरी संचालन गर्ने उद्योग व्यवसायमा | १००००       | ३५००   |
| ४. | <b>विशेष परामर्श तथा अन्य व्यवसायीक सेवा</b>                                                                                                   |             |        |
|    | क) चिकित्सक                                                                                                                                    | ५०००        | १५००   |
|    | ख) कविराज                                                                                                                                      | १०००        | ३००    |
|    | ग) इन्जिनियर                                                                                                                                   | ५०००        | १५००   |

|     |                                                                                                                                    |       |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|     | घ) कानून व्यवसायी                                                                                                                  | ५०००  | १५०० |
|     | ङ) लेखा परिक्षक                                                                                                                    | २०००  | ७००  |
|     | च) दन्त चिकित्सक                                                                                                                   | ३०००  | १००० |
|     | छ) अनुसन्धानकर्ता तथा परामर्श दाता                                                                                                 | २५००  | ८००  |
|     | ज) कम्प्युटर एनालिष्ट तथा प्रोग्रामर                                                                                               | २५००  | ८००  |
|     | झ) बीमा एजेन्ट                                                                                                                     | २०००  | ७००  |
|     | ञ) सभेय                                                                                                                            | २५००  | ८००  |
|     | ट) अनुवादक                                                                                                                         | २०००  | ७००  |
|     | ठ) पशु चिकित्सक                                                                                                                    | ३०००  | १००० |
|     | ड) शेयर दलाल                                                                                                                       | २०००  | ७००  |
|     | ढ) सामान दुवानी कर्ता तथा कम्पनी                                                                                                   | २०००  | ७००  |
|     | ण) संस्थागत पेन्टर                                                                                                                 | २०००  | ७००  |
|     | त) अन्य परामर्श सेवा                                                                                                               | २०००  | ७००  |
| ५.  | <b>सवारी साधन विक्री केन्द्र</b>                                                                                                   |       |      |
|     | क) सवारी साधन विक्रेता                                                                                                             | १०००० | ३५०० |
| ६.  | <b>उत्पादन मूलक उद्योग</b>                                                                                                         |       |      |
|     | क) कोरा माल वा अर्ध प्रशोधित माल वा खेर गईरहेको माल सामानको वा अन्य माल सामान प्रयोग वा प्रशोधन गरी माल सामान उत्पादन गर्ने उद्योग | ५०००  | १५०० |
| ७.  | <b>कृषि तथा वन्यजन्य उद्योग</b>                                                                                                    |       |      |
|     | क) वन पैदावारमा आधारित उद्योग -उत्पादन गर्ने)                                                                                      | ५०००  | १५०० |
|     | ख) वन पैदावारमा आधारित व्यवसायमा                                                                                                   | २०००  | ७००  |
|     | ग) कृषिमा आधारित उद्योग व्यवसायमा                                                                                                  | २०००  | ७००  |
|     | घ) कुखुरा फार्म                                                                                                                    | १०००  | ३००  |
|     | ङ) स मिल                                                                                                                           | २०००  | ७००  |
|     | च) फर्निचर उद्योग                                                                                                                  | २०००  | ७००  |
| ८.  | <b>गाउँपालिकामा प्रधान कार्यालय भएको निर्माण व्यवसायमा</b>                                                                         |       |      |
|     | क) श्रेणीको                                                                                                                        | १०००० | ३५०० |
|     | ख) श्रेणीको                                                                                                                        | ६०००  | २००  |
|     | ग) श्रेणीको                                                                                                                        | ४५००  | १४०० |
|     | घ) श्रेणीको                                                                                                                        | ४०००  | १३०० |
| ९.  | <b>खनिज उद्योग</b>                                                                                                                 |       |      |
|     | क) खनिज उत्खनन वा प्रशोधन गर्ने उद्योग व्यवसायमा                                                                                   | १०००० | ३५०० |
| १०. | <b>कृषि तथा वन्यजन्य उद्योग</b>                                                                                                    |       |      |
|     | क) वन पैदावारमा आधारित उद्योग -उत्पादन गर्ने)                                                                                      | १०००० | ३५०० |
|     | ख) वन पैदावारमा आधारित व्यवसायमा                                                                                                   | ५०००  | १५०० |

|     |                                                                                                                           |       |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|     | ग) कृषिमा आधारित उद्योग व्यवसायमा                                                                                         | ३०००  | १००० |
| ११. | <b>उर्जा मूलक उद्योग</b>                                                                                                  |       |      |
|     | क) जलश्रोत, वायु, सौर्यशक्ति, कोइला, प्राकृतिक तेल, ग्याँस, बायोग्यास, अन्य श्रोतहरुबाट उर्जा पैदा गर्ने उद्योग व्यवसायमा | ५०००  | १५०० |
| १२. | <b>स्वास्थ्य सेवा</b>                                                                                                     |       |      |
|     | क) गैर सरकारी अस्पताल                                                                                                     | १०००० | ३५०० |
|     | ख) नर्सिङ होम                                                                                                             | १०००० | ३५०० |
|     | ग) क्लिनिक तथा ल्याब                                                                                                      | ५०००  | १५०० |
| १३. | <b>सञ्चार सेवा</b>                                                                                                        |       |      |
|     | क) निजी क्षेत्रको हुलाक सेवा                                                                                              | १५००  | ५००  |
|     | ख) निजी क्षेत्रका टेलिफोन, फ्याक्स, फोटोकपी, मोबाइल फोन, STD, ISTDइमेल, इन्टरनेट, रेडियो पेजिङ आदि                        | २०००  | ७००  |
|     | ग) कुरियर सेवा                                                                                                            | १५००  | ५००  |
| १४. | <b>शिक्षा सेवा</b>                                                                                                        |       |      |
|     | क) निजी क्षेत्रका स्कूल, क्याम्पस, विश्वविद्यालय                                                                          | १०००० | ३५०० |
|     | ख) तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्र                                                                                            | ३०००  | १००० |
|     | ग) टाइपिङ, कम्प्युटर तथा भाषा प्रशिक्षण संस्था                                                                            | ३०००  | १००० |
|     | घ) अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था                                                                                         | १०००० | ३५०० |
| १५. | <b>मर्मत सम्भार</b>                                                                                                       |       |      |
|     | क) हेवी इक्यूमेन्ट्स बस, ट्रक, कार, मोटर साइकल, टेम्पो, साइकल आदि मर्मत कारखाना                                           | ५०००  | १५०० |
|     | ख) रेडियो, टि.भि., घडी, प्रेशर कुकर, हिटर, टेलिफोन सेट, विद्युत सामग्री मर्मत केन्द्र                                     | १०००  | ३००  |



निर्माण व्यवसाययातायात व्यावसाय/

| क्र.सं. | सवारी साधनको प्रकार        | सवारी साधनको क्षमता         | वार्षिक दर रु. |
|---------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| १       | स्काभेटर                   | २०० वा सो भन्दा बढीहर्षपावर | १०,०००/-       |
| २       | स्काभेटर                   | २०० वा सो भन्दा कमहर्षपावर  | ७,०००/-        |
| ३       | जेसिबी मेशिन, ब्याकहु लोडर |                             | ५,०००/-        |
| ४       | ग्रेडर                     |                             | ५०००/-         |
| ५       | टिपर                       |                             | ५०००/-         |
| ६       | ट्याक्टरट्याक्सी/          |                             | ५०००/-         |
| ७       | टेम्पो                     |                             | १०००/-         |

माथिउल्लेखित बाहेकका अन्य व्यवसायहरुलाई व्यवसायको प्रकृति हेरी रु ५०० देखि ५००० सम्म लिने । व्यवसाय कर बक्यौताको अवधि हेरी १०% देखि ५० %सम्म जरिवानालिने । वार्षिक रुपमा नतिरेमा कर शुल्कको अतिरिक्त ५० प्रतिशत जरिवान लिने ।

अनुसूची ५

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६२ सँग सम्बन्धीत

| सि.नं. | प्रस्तावित क्रियाकपालहरु             | प्रति एकाई | आ .व.<br>२०८० को०८१/<br>दर |
|--------|--------------------------------------|------------|----------------------------|
| १२     | सेवा शुल्क दस्तुर                    |            |                            |
|        | सार्वजनिक सुविधा उपयोग सेवा शुल्क    |            |                            |
| १२०१०१ | सौचालय प्रयोग शुल्क                  |            |                            |
|        | १ दिशा                               | पटके       | १०/-                       |
|        | २ पिसाब                              | "          | ५/-                        |
| १२०१०२ | सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवस्थापन शुल्क |            |                            |
|        | १ होटल व्यवसाय दर्ता शुल्क           |            |                            |
|        | च म्दिरा सहित भएमाथपःनवीकरण          | वार्षिक    | ५५०/-                      |
|        | छ तरकारी तथा फलफूल पसलःनवीकरण        | वार्षिक    | ११००/-                     |
|        | २ अस्पताल र नर्सिङ होम               |            |                            |

खण्ड-८ भाग-१ सङ्ख्या-१ सुनकोशी स्थानीय राजपत्र प्रकाशित मिति २०८१/०३/१०

|        |                                                                                                          |   |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| क      | मुख्य बजारकेन्द्रमा अवस्थित                                                                              | " | २२००/- |
| ख      | सो बाहेककोस्थानमा अवस्थित                                                                                | " | ११००/- |
| ३      | शिक्षण संस्था                                                                                            |   |        |
| क      | क्याम्पस                                                                                                 | " | २२००/- |
| ख      | मावि                                                                                                     | " | १६५०/- |
| ग      | अन्यनिजी विद्यालयहरुको लागि                                                                              | " | २२००/- |
| ४      | अन्यक्षेत्रहरु                                                                                           |   |        |
| क      | सरकारी तथा निजी गैरसरकारी कार्यालयहरु                                                                    | " | १६५०/- |
| १      | यस ऐनमा अन्यत्र नलेखिएका सबै प्रकारका सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाकोव्यावसायको न/विकरण शुल्क             |   | २५००   |
| २      | यस ऐनमा अन्यत्र नलेखिएका सबै प्रकारका सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाको व्यावसायको न/विकरण शुल्कदर्ता शुल्क |   | २०००   |
| प      | मोटरसाइकल र साइकल वर्क्सप                                                                                | " | १२००/- |
| फ      | पोल्टी फर्म                                                                                              | " |        |
|        | बस्ती नजिक १००मिटर भित्र                                                                                 | " | ६६०/-  |
|        | बस्ती नजिक १००मिटर बाहिर                                                                                 | " | ५५०/-  |
| ब      | टेलरिङ्ग                                                                                                 | " | ६६०/-  |
| भ      | औषधी पसल                                                                                                 | " | ६६०/-  |
| ग      | श्रृंगार तथा चुरा पसल                                                                                    | " | ३३०/-  |
| य      | अन्य व्यवसाय                                                                                             | " | ६६०/-  |
| १२०१०४ | अचल सम्पत्ति मूल्यांकन सेवा शुल्कवैदेशिक प्रयोजन-                                                        |   |        |
| क      | रु १ लाख देखि १० लाख सम्म                                                                                |   | ५५०/-  |
| ख      | रु १० लाख देखि २० लाख सम्म                                                                               |   | २२००/- |
| ग      | रु २० लाख देखि ३० लाखसम्म                                                                                |   | २७५०/- |
| घ      | रु ३० लाख देखि ५० लाखसम्म                                                                                |   | ३३००/- |
| ङ      | रु ५० लाख देखि १ करोडसम्म                                                                                |   | ७७००/- |
| च      | रु १ करोड देखि ५ करोडसम्म                                                                                |   | ०.१० % |
|        | अचल सम्पत्ति मूल्यांकन सेवा शुल्कवैदेशिक प्रयोजन-                                                        |   |        |

CS Scanned with CamScanner



|        |                                     |                                                                                        |          |          |
|--------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|        | क                                   | रु १ लाख देखि १० लाख सम्म                                                              |          | ५५०/-    |
|        | ख                                   | रु १० लाख देखि २० लाख सम्म                                                             |          | १६५०/-   |
|        | ग                                   | रु २० लाख देखि ३० लाख सम्म                                                             |          | २२००/-   |
|        | घ                                   | रु ३० लाख देखि ५० लाख सम्म                                                             |          | २७५०/-   |
|        | ङ                                   | रु ५० लाख देखि १ करोड सम्म                                                             |          | ५५००/-   |
| १२०१०५ | दर्ता र नबिकरण दस्तुर               |                                                                                        |          |          |
|        | १                                   | व्यक्तिगत घटना दर्ता                                                                   |          |          |
|        |                                     | प्रमाणपत्र दस्तुर १ दिन देखि ३५ दिन सम्म-                                              | पटक      | निःशुल्क |
|        |                                     | ३५ दिन नाघेमा जरिवाना                                                                  | "        | २५०/-    |
|        |                                     | प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी दस्तुर                                                          | "        | ५००/-    |
| १२०१०६ | नक्सा पास दस्तुर [पुरानो नयाँ तथा-] |                                                                                        |          |          |
|        | १                                   | माटोजोडाई कच्ची घर निवेदन                                                              |          | ५५०/-    |
|        | २                                   | साविकबमोजिम भवन तथा घर मर्मत स्वीकृति                                                  |          | ११००/-   |
|        | ३                                   | अस्थायीटहरा साधारण                                                                     | प्रतिफुट | ३/-      |
|        | ४                                   | अस्थायीटहरा हौटल उद्योग आदि                                                            | प्रतिफुट | ६/-      |
|        | ५                                   | माटोजोडाई पक्की घर                                                                     | प्रतिफुट | ३/-      |
|        | ६                                   | सिमेन्टजोडाईको पक्कीघर                                                                 | प्रतिफुट | ६/-      |
|        | ७                                   | सिमेन्टजोडाईको पक्कीघर पहिलो तलादेखि माथि                                              | प्रतिफुट | ९/-      |
|        | ८                                   | होटलव्यवसाय र सपिङ्ग कम्प्लेक्सको लागि                                                 | प्रतिफुट | ११/-     |
|        | ९                                   | निर्माणभईसकेको घरको पछि नक्सा पास गर्दा मापदण्डभित्र रहेछु भने नियमित दस्तुरको अलावाथप | प्रतिफुट | ६/-      |
|        | १०                                  | कम्पाउण्डवाल सिमेन्ट जोडाई                                                             | प्रतिफुट | ३/-      |
|        | ११                                  | कम्पाउण्डवालमाटो जोडाई                                                                 | प्रतिफुट | १/-      |
|        | १२                                  | नपाहुनु अगावै निर्माण भएका घरमा तला थप गर्दा पहिलो निर्माण भए जति घरको हकमाप्रमाणित    | प्रतिफुट | ३/-      |
|        | १३                                  | नक्सानामसारी दस्तुर                                                                    |          | ११००/-   |

|        |         |                                                                      |      |        |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------------|------|--------|
|        | १४      | घरनिर्माण सरसफाई घरौटी                                               |      | २२००/- |
| १२०१०७ | सिफारिस | तथा बक्सोनी दस्तुर                                                   |      |        |
|        | १       | सामान्य सिफारिसहरु                                                   |      |        |
|        | क       | नाम घर संशोधन सिफारिस                                                | गोटा | १००/-  |
|        | ख       | नेपाली नागरीकता प्रमाणपत्र वंशज- सिफारिस                             | "    | १००/-  |
|        | ग       | नेपाली नागरीकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपी सिफारिस                         | "    | १५०/-  |
|        | घ       | नेपाली नागरीकता प्रमाणपत्र -विवाहित अंगिकृत र अंगिकृत सिफारिस        | "    | १०००/- |
|        | ङ       | वैदेशिक प्रयोजनार्थ नाता प्रमाणित                                    | "    | ५००/-  |
|        | च       | संस्था दर्ता सिफारिस                                                 | "    | १०००/- |
|        | छ       | संस्था नवीकरण सिफारिस                                                |      | ८००/-  |
|        | ज       | गम्भिर प्रकृतिका विरामि र दैविक प्रकोप को सिफारिस                    | "    | छुट    |
|        | झ       | तीनपुस्ते फोटो टाँस सिफारिस                                          |      | १००/-  |
|        | ञ       | सर्जमिनमुचुल्का                                                      |      | ५००/-  |
|        | ट       | व्यवसायदर्ता सिफारिस १ लाख सम्म                                      |      | ५००/-  |
|        | ट       | व्यवसायदर्ता सिफारिस ५ लाख सम्म                                      |      | ११००/- |
|        | ठ       | व्यवसायदर्ता सिफारिस ५ लाख माथि                                      |      | १६५०/- |
|        | ड       | असहाय र अपांग, दैवी प्रकोप, छात्रवृत्तिको सिफारिस                    | गोटा | छुट    |
|        | २       | जग्गा नामसारी सिफारिस                                                |      |        |
|        | क       | राजमार्गले दुवै तर्फका जग्गा सडकबाट २०० मिटरसम्म भित्र जग्गा सिफारिस |      | ५००/-  |
|        | ख       | अन्यसबै जग्गा                                                        |      | १००    |
|        | ग       | थपजग्गा प्रति कित्तामा                                               |      | ५०/-   |
|        | ग       | छुट जग्गा दर्ताको सिफारिस                                            | "    | १००/-  |
|        | ३       | चारकिल्लाप्रमाणित                                                    |      |        |
|        | घ       | चार किल्ला प्रमाणित राजमार्गले छुने दुवै तर्फका २००मीटरभित्र         | "    | ३००/-  |
|        | ङ       | कच्चीमोटरबाटो भएका जग्गाहरु                                          | "    | २००/-  |
|        | च       | अन्यसबै जग्गाहरु                                                     | "    | १००/-  |

खण्ड-८ भाग-१ सङ्ख्या-१ सुनकोशी स्थानीय राजपत्र प्रकाशित मिति २०८१/०३/१०

|        |                                                                              |         |        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| छ      | थपप्रति किता                                                                 |         | १००/-  |
| ज      | चार किल्ला प्रमाणित उद्योग र होटल जुनसुकै वडाको                              | "       | ५००/-  |
| झ      | अपुतालीसिफारिस                                                               | "       | १०००/- |
| ञ      | मोही लगतकट्टा सिफारिस                                                        | "       | ५००/-  |
| ट      | मोहीनामसारी सिफारिस                                                          | "       | २००/-  |
| ४      | उद्योगदर्ता सिफारिस                                                          |         |        |
| क      | रु १० लाख सम्म पूजा भएको                                                     | पटक     | २२००/- |
| ख      | त्यसपछि प्रतिलाखमा थप                                                        | "       | ५५०/-  |
| ग      | डिलरसिफारिस                                                                  | "       | ५०००/- |
| ५      | धारा बिजुली जडान सिफारिस दस्तुर                                              |         |        |
| क      | धारा बिजुली जडान सिफारिस                                                     | "       | ५०/-   |
| ख      | धारा बिजुली नामसारी सिफारिस                                                  | "       | १००/-  |
| ६      | वार्षिक आम्दानी प्रमाणित दस्तुरःकुल मूल्यांकन दस्तुरः६ आम्दानी प्रमाणीत      |         | १००    |
| क      | वैदेशिक रोजगार वा अध्ययनमा जाने नागरीक वा निजको परिवारको आम्दानीको मूल्यांकन | प्रतिशत | ०.०५   |
| ख      | कृषि प्रयोजनको लागि मूल्यांकित रकमको                                         | प्रतिशत | ०.१०   |
| ग      | बैंक, व्यापारिक प्रयोजनको लागि मूल्यांकित रकमको                              | प्रतिशत | ०.२५   |
| ७      | घरबाटो प्रमाणित दस्तुरःघरबाटो सिफारिस                                        |         |        |
| ७१-    | राजमार्गले छोएको सबै जग्गासडक/                                               |         |        |
| क      | एकरोपनी सम्मको लागि                                                          | "       | १००/-  |
| ड      | १रोपनी देखि ५ रोपनी सम्मको लागि                                              | "       | २००/-  |
| च      | ५रोपनी देखि १० रोपनी सम्मको लागि                                             | "       | ५००/-  |
| छ      | १०रोपनी माथिको लागि                                                          | "       | ७००/-  |
| ७२-    | कच्ची सडकसँग जोडिएको १५ मिटर क्षेत्रका जग्गा                                 |         |        |
|        | नाता जन्म तथा अन्य प्रमाणित दस्तुर                                           |         |        |
| १२०१०८ | नाताप्रमाणित २जना                                                            | जना     | १००/-  |
|        | नाता प्रमाणित २ जना भन्दा बढी                                                |         | ३००/-  |
|        | जन्मप्रमाणित                                                                 | "       | १००/-  |
|        | करचुक्ता प्रमाणित                                                            | "       | १००/-  |

CS Scanned with CamScanner



|         |   |                                                 |          |            |
|---------|---|-------------------------------------------------|----------|------------|
|         |   | विवाहित+अविवाहितप्रमाणित                        | "        | १००/-      |
|         |   | दुवैएकै भएको प्रमाणित                           | "        | १००/-      |
|         |   | रुख कटान सिफारिस साल                            | प्रतिरुख | २००/-      |
|         |   | रुख कटान सिफारिस खयर, चिलाउने                   | प्रतिरुख | १००/-      |
|         |   | रुख कटान सिफारिस उत्तिस                         | प्रतिरुख | ६०/-       |
|         |   | बसाइसराई                                        |          | २५०/-      |
|         |   | अंग्रेजी बाट गरिने जुनसुकै प्रकाको सिफारिस      |          | २५०        |
|         |   | अन्य बिक्री                                     |          |            |
| १२०१०९  | १ | निवेदन फाराम                                    | गोटा     | १०/-       |
|         | २ | नाता प्रमाणित निवेदन फाराम                      | "        | २५/-       |
|         | ३ | नागरीकता फाराम                                  | "        | १५/-       |
|         | ४ | नक्सा दर्ता किताब                               | "        | ५००/-      |
|         | ५ | प्रमाणपत्र                                      | "        | ५५०/-      |
| १२०१०१० | १ | विलम्ब शुल्क                                    |          |            |
|         | क | व्यवसाय कर प्रत्येक वर्ष नबुझाएबापत जरिवाना     | वार्षिक  | २० प्रतिशत |
|         | ख | घरजग्गा कर प्रत्येक वर्ष नबुझाएबापत             | वार्षिक  | २० प्रतिशत |
|         | ग | मालपोत गत आ० व० मा नबुझाएमा                     | वार्षिक  | २० प्रतिशत |
|         | २ | सार्वजनिक स्थानमा निर्माण सामग्री शुपारेबापत    |          |            |
|         | क | दैनिक लाग्ने शुल्क                              | दिन      | १०/-       |
|         | ख | अन्यथा भएमा जरिवाना                             | "        | २०/-       |
|         | ३ | निषेधित क्षेत्रमा भारी सवारी साधन प्रवेशगरेबापत |          |            |
|         | क | पहिलो पटक                                       | पटक      | ५०/-       |
|         | ख | दोश्रो पटक                                      | "        | १००/-      |
|         | ग | दुई भन्दा बढी पटकको प्रति पटक                   | "        | ५००/-      |
|         |   | घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र            |          |            |
|         | १ | इजाजतपत्र                                       | वार्षिक  | २०००/-     |
|         | २ | नवीकरणशुल्क तोकिएको अवधिमा नआएमा थप जरिवाना     | वार्षिक  | १०००/-     |



सरसफाइ सेवा शुल्कको दर

गाउँपालिकाले संकलन गर्ने फोहोर संकलन वापत का क्षेत्रमा एक घर बराबर को दर

| क्र.स. | विवरण                             | मासीक | वार्षिक |
|--------|-----------------------------------|-------|---------|
| १      | दैनिक सरसफाइ पुगेको स्थान         | १००   |         |
| २      | हप्तामा २ पटक सरसफाइ पुगेको स्थान | ५०    |         |
| ३      | हप्तामा १ पटक सरसफाइ पुगेको स्थान | ३०    |         |
| ४      | महिनामा १ पटक सरसफाइ पुगेको स्थान | २०    |         |

यस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसमा गाउँ कार्या -लि काको निर्णयवमोजिम हुने छ ।

सार्वजनिक शौचालय उपयोग सेवा शुल्क

| क्र.स. | विवरण          | दर रु |
|--------|----------------|-------|
| १      | पिसाब गरेको    | ५     |
| २      | दिसा गरेको     | १०    |
| ३      | स्नानगृह उपयोग | ५०    |

अनुसूची-६

दफा ५ सँग सम्बन्धीत

विज्ञापन कर:

| क्र.स. | विवरण                                        | दर रु    |
|--------|----------------------------------------------|----------|
| १      | ग्लो साइनबोर्ड, डिपिएस बोर्ड प्रति वर्गफिट.  | रु५०/-   |
| २      | वाल पेन्ट विज्ञापन प्रति वर्ग फिट            | रु५./-   |
| ३      | ब्यानर प्रतिगोटा-बढीमा एक महिना सम्मको लागि) | रु३००./- |

अनुसूची-७-

स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६१ सँग सम्बन्धीत

जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु

५. जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु सम्बन्धि कर :

क) जडिबुटी, नेपाली कागज, काठ, दाउरा, बाँस र अन्य वस्तुको निकासी करको दर :

| क्र.स. | विवरण                    | इकाई | प्रति इकाई दर रु. | कैफियत |
|--------|--------------------------|------|-------------------|--------|
| १      | मजिठो                    | केजी | ११५०              |        |
| २      | ओखरफलको बोक्रा           | केजी | ११५०              |        |
| ३      | ओखर काण्ड बोक्रा         | केजी | १०१००             |        |
| ४      | चिराइतो                  | केजी | २१५०              |        |
| ५      | चुत्रोको बोक्रा          | केजी | ११२५              |        |
| ६      | कुरिलाको जरा             | केजी | ११५०              |        |
| ७      | सुगन्धवाल                | केजी | ४१००              |        |
| ८      | अल्लो                    | केजी | २१००              |        |
| ९      | भयाउ                     | केजी | ७१००              |        |
| १०     | अगैली                    | केजी | ३१२५              |        |
| ११     | पाखनवेत                  | केजी | २१००              |        |
| १२     | लोयता                    | केजी | ६१००              |        |
| १३     | ठिप्रे सल्लाको सिम्टा    | केजी | २११००             |        |
| १४     | धसिगरेतेल                | केजी | २०१००             |        |
| १५     | अमिसो                    | केजी | ११००              |        |
| १६     | जटामसी                   | केजी | ३१००              |        |
| १७     | तेजपात                   | केजी | ०१२०              |        |
| १८     | गोब्रे सल्लाको सिम्टा    | केजी | ०१३०              |        |
| १९     | खोल्म                    | केजी | ०१३०              |        |
| २०     | नागबेली पाउडर            | केजी | १५१५०             |        |
| २१     | खोटो                     | केजी | १०१००             |        |
| २२     | गोब्रे सल्लाको पातको तेल | केजी | ३०१००             |        |
| २३     | भिरमह                    | केजी | ५१००              |        |
| २४     | सतुवा                    | केजी | १११००             |        |
| २५     | धुपीपात                  | केजी | ११००              |        |
| २६     | नागबेली                  | केजी | ०१५०              |        |
| २७     | काउलोको बोक्रा           | केजी | ३१००              |        |
| २८     | सुगन्धित तेल             | केजी | ५०१००             |        |

खण्ड-८ भाग-१ सङ्ख्या-१ सुनकोशी स्थानीय राजपत्र प्रकाशित मिति २०८१/०३/१०

| क्र.स. | विवरण                                   | इकाई    | प्रति इकाई दर रु. | कैफियत |
|--------|-----------------------------------------|---------|-------------------|--------|
| २९     | साधारण च्याउ                            | केजी    | २१००              |        |
| ३०     | इन्ड्रेयिनी                             | केजी    | २१००              |        |
| ३१     | नेपाली कागज                             | कोरी    | ७००               |        |
| ३२     | सल्लो/उत्तिस र अन्य बरामदी काठ (गोलिया) | क्यु.फि | १०१००             |        |
| ३३     | सल्लो/उत्तिस र अन्य बरामदी काठ (चिरान)  | क्यु.फि | ५१००              |        |
| ३४     | भेनियर पत्ता (ट्याक्टर)                 | ट्रिप   | १०००१००           |        |
| ३५     | भेनियर पत्ता (मिनी ट्रक)                | ट्रिप   | १२००१००           |        |
| ३६     | भेनियर पत्ता (ट्रक)                     | ट्रिप   | १५००१००           |        |
| ३७     | भेनियर पत्ता (भ्यान ट्रक)               | ट्रिप   | १७००१००           |        |
| ३८     | भेनियर पत्ता (ट्रक)                     | ट्रिप   | २००१००            |        |
| ३९     | तयारी प्लाइउड (ट्याक्टर)                | ट्रिप   | ३०००१००           |        |
| ४०     | तयारी प्लाइउड (मिनी ट्रक)               | ट्रिप   | १५०१००            |        |
| ४१     | तयारी प्लाइउड (ट्रक)                    | ट्रिप   | २२५१००            |        |
| ४२     | तयारी प्लाइउड (भ्यान ट्रक)              | ट्रिप   | ३००१००            |        |
| ४३     | दाउरा (ट्याक्टर)                        | ट्रिप   | २५१००             |        |
| ४४     | दाउरा (मिनी ट्रक)                       | ट्रिप   | ५०१००             |        |
| ४५     | दाउरा (ट्रक)                            | ट्रिप   | १००१००            |        |
| ४६     | दाउरा (भ्यान ट्रक)                      | ट्रिप   | १००१००            |        |
| ४७     | काठको भुस (ट्याक्टर)                    | ट्रिप   | ६०१०              |        |
| ४८     | काठको भुस (मिनी ट्रक)                   | ट्रिप   | १००               |        |
| ४९     | काठको भुस (भ्यान ट्रक)                  | ट्रिप   | १००               |        |
| ५०     | वाँस                                    | गोटा    | ५१०               |        |
| ५१     | वन लसुन                                 | केजी    | ११००              |        |
| ५२     | हाडे लसुन                               | केजी    | ०१२५              |        |
| ५३     | कुरीलो                                  | केजी    | १.२५              |        |
| ५४     | कोइला                                   | केजी    | ५१००              |        |
| ५५     | बुकीफुल                                 | केजी    | २१००              |        |
| ५६     | बुकीफुलको तेल                           | केजी    | १५००१००           |        |
| ५७     | अविजालो                                 | केजी    | ५१००              |        |
| ५८     | निगालो                                  | गोटा    | ०११०              |        |
| ५९     | अलैची                                   | केजी    | २१००              |        |
| ६०     | यासांगुम्बा                             | केजी    | १५००१००           |        |

Scanned with CamScanner



| क्र.स. | विवरण                                                                                                                                                             | इकाई | प्रति इकाई दर रु. | कैफियत |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------|
| ६१     | लोठ सल्लाको पात                                                                                                                                                   | केजी | ५।००              |        |
| ६२     | सुठो                                                                                                                                                              | केजी | १।००              |        |
| ६३     | लप्सी                                                                                                                                                             | केजी | १।००              |        |
| ६४     | खयर                                                                                                                                                               | केजी | ३                 |        |
| ६५     | सुनकोशी गाउँपालिका भित्र उत्पादन भै निकासी हुने माथि उल्लेखित बाहेक अन्य वस्तुहरूको हकमा राजश्व परामर्श समितिको सिफारिसमा गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम हुनेछ। |      |                   |        |

ख) प्रचलित कानुनले निषेध गरे बाहेकको मरेका वा मारिएका पन्छीको प्याँख र पशुको हाड, छाँला, सिङ्ग र खुर निकासी शुल्कको दर :

| क्र.स. | विवरण      | इकाई  | प्रति इकाई दर रु. | कैफियत |
|--------|------------|-------|-------------------|--------|
| १      | प्याँख     | के.जी | १।५०              |        |
| २      | हाड        | के.जी | १।५०              |        |
| ३      | सिङ्ग      | के.जी | १।५०              |        |
| ४      | खुर        | के.जी | १।५०              |        |
| ५      | छाँला ठुलो | गोटा  | १०।००             |        |
| ६      | छाँला सानो | गोटा  | १०।००             |        |

ग) कृषि, पशु तथा पशुजन्य वस्तुको निकासी शुल्कको दर :

| क्र.स. | विवरण                                            | इकाई  | प्रति इकाई दर रु. | कैफियत |
|--------|--------------------------------------------------|-------|-------------------|--------|
| १      | भैसी जात (भैसी, रांगा आदि)                       | गोटा  | १००               |        |
| २      | गाई जात -गाई, गोरु आदि)                          | गोटा  | ५०                |        |
| ३      | भेडा, बाख्रा, बंगुर जात(भेडा, बाख्रा, बंगुर आदि) | गोटा  | २०                |        |
| ४      | कखुरा/कखुराको जात                                | ट्रिप | १००               |        |
| ५      | अण्डा (सात केट बराबर एक बाकस)                    | बाकस  | ५                 |        |
| ६      | गोलभेडा, काउली, आलु, (ठुलो ट्रक)                 | ट्रिप | ५००               |        |
| ७      | गोलभेडा, काउली, आलु, (मिनी ट्रक/टयाक्टर)         | ट्रिप | २००               |        |
| ८      | बन्दा, साग(ठुलो ट्रक)                            | ट्रिप | २००               |        |
| ९      | बन्दा, साग(मिनी ट्रक/टयाक्टर)                    | ट्रिप | १००               |        |
| १०     | लसुन, वेसार, अदुवा, (ठुलो ट्रक)                  | ट्रिप | ७००               |        |
| ११     | लसुन, वेसार, अदुवा, (मिनी ट्रक/टयाक्टर)          | ट्रिप | ३००               |        |



कवाडी

| क्र.स. | विवरण                  | इकाइप्र/ति | २०७७/७८ |
|--------|------------------------|------------|---------|
| १      | फलामजन्य सामान         | किलोग्राम  | १.००    |
| २      | कागजजन्य सामान         | किलोग्राम  | ०६०.    |
| ३      | स्टिलजन्य सामान        | किलोग्राम  | १.१५    |
| ४      | शिशु वियर बाइनका बोतल  | बटा        | ०१५.    |
| ५      | शिशु क्वाटर बोतल       |            | ००६.    |
| ६      | शिशु फुटेको            |            | ०१२.    |
| ७      | प्लाष्टिक जन्य सामग्री |            | ०१०.    |

जिवजन्तु

| क्र.स. | विवरण     | इकाइप्र/ति | २०७७/७८ |
|--------|-----------|------------|---------|
| १      | ऊन जगर    | किलोग्राम  | १       |
| २      | प्वाख     | किलोग्राम  | २       |
| ३      | हाड       | किलोग्राम  | १       |
| ४      | सिङ्ग     | किलोग्राम  | २       |
| ५      | खुर       | किलोग्राम  | २       |
| ६      | छाला सानो | किलोग्राम  | १५      |
| ७      | छाला ठुलो | किलोग्राम  | ३०      |
| ८      | जाबो      | किलोग्राम  | १       |

अनुसूची-८

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६० सँग सम्बन्धीत

पार्कीङ शुल्क

| क्र.स. | विवरण                             | वार्षिक दर | दैनिक रु |
|--------|-----------------------------------|------------|----------|
| १      | मोटरसाइकल                         | १५००       | ५        |
| २      | टेम्पो                            | २०००       | १०       |
| ३      | पावर टेलर                         | २०००       | १०       |
| ४      | जिप कार मारुति भ्यान भाडाका मात्र | २५००       | १०       |
| ५      | जिप कार मारुती भ्यान निजी प्रयोजन | ५०००       | १०       |
| ६      | मिनि बस                           | ७०००       | १०       |
| ७      | बस                                | ३०००       | १०       |
| ८      | माइक्रो बस                        | ४०००       | १०       |
| ९      | बुलेरो सुमो स्करपीयो              | ३०००       | १०       |
| १०     | विशेष कामले आएको सरकारी गाडी      |            | छुट      |

अनुसूची ९ -

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ५९ सँग सम्बन्धीत

बहाल विरौटी कर

| क्र.स. | विवरण                                                                    | रु दैनिक |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| १      | भुइमा सामान फिजाइ विक्री गर्ने                                           | १५       |
| २      | हास कुखुरा परेवा विक्री गर्ने प्रति खोगि                                 | १५       |
| ३      | डोकामा फलफुल सागसब्जी बेच्ने प्रति डोका                                  | १०       |
| ४      | जुता पालिस गर्ने जुता मर्मत गर्ने                                        | १५       |
| ५      | घडी बनाउने                                                               | १५       |
| ६      | चटपटे पुच्का वा पकाएर खानेकुरा बेच्न् पसल                                | १०       |
| ७      | भुइमा फिजाएर जुता चप्पल विक्री गर्ने                                     | २५       |
| ८      | भुइमा फिजाएर सृगारवा रेडीमेट वा कपडा विक्री गर्ने                        | २५       |
| ९      | माछा मासु विक्री गर्ने पसल गापा बाट स्वीकृती प्राप्त भएका                | ३०       |
| १०     | साइकलमा समामान विक्री गर्ने                                              | ३०       |
| ११     | माइक लगाएर वा नलगाइ सामान औषधी साबुन लुगा विक्री गर्ने घुम्फिर ब्यापार / | ५०       |

बहाल विरौटी (पशुहाट शुल्क )

| क्र.स. | विवरण            | प्रति गोटा |
|--------|------------------|------------|
| १      | लैनो गाइ         | १५०        |
| २      | लैनो भैसि        | २००        |
| ३      | रागा             | २००        |
| ४      | थारो गाइ वा गोरु | १००        |
| ५      | ठुलो खसी         | २०         |
| ६      | बोका             | १५         |
| ७      | बाख्रा           | १५         |
| ८      | सुँगुर           | २०         |
| ९      | सुँगुर पाठापाठी  | १०         |
| १०     | कुखुरा पंक्षी    | १०         |

अनुसूची- १०  
प्राकृतिक स्रोत विक्रि शुल्क

| क्र.स. | विवरण                                                    | इकाइप्र/ति                 | करको दर                                      |
|--------|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| १      | ढुङ्गा गीटी रोडा ग्रावेल चट्टान स्लेट                    | प्रतिट्रक प्र /तिट्रयाक्टर | कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन ले तोके बमोजीम |
| २      | वालुवा चिप्स                                             | प्रति ट्रकप्र /ति टयकाक्टर |                                              |
| ३      | माटो वा बलौटे                                            | प्रतिट्रक प्र/तिट्रयाक्टर  |                                              |
| ४      | नदी तथा खोलाले बगाएर ल्याएको काठ दाउरा दहत्तर बहत्तर आदी | प्रतिट्रक प्र /तिट्रयाक्टर |                                              |

खण्ड ८) अतिरिक्ताङ्क ३ प्रदेश राजपत्र भाग १ मिति २०८१।३।१३

**अनुसूची-६**

(दफा ७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

**प्राकृतिक स्रोत सङ्कलन तथा विक्री शुल्क**

| सि.नं. | शीर्षक                                                                                                                                      | इकाई               | दर (रु.)                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| १      | ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा, ग्राभेल, चट्टान, स्लेट, चुनढुङ्गा, खरीढुङ्गा, अभ्रख, कटिड ढुङ्गा विक्री वा घाटगद्दी (स्वीकृत खानी र वन क्षेत्र बाहेक) | प्रति क्यू.<br>फिट | सङ्कलन शुल्क<br>रु.७/-,<br>विक्री दर रु.८/-      |
| २      | बालुवा, चिप्स विक्री वा घाटगद्दी (स्वीकृत खानी र वन क्षेत्र बाहेक)                                                                          | प्रति क्यू.<br>फिट | सङ्कलन शुल्क<br>रु.६/-,<br>विक्री दर रु.७/-      |
| ३      | माटो, भरोट, बलौट विक्री वा घाटगद्दी (स्वीकृत खानी र वन क्षेत्र बाहेक)                                                                       | प्रति क्यू.<br>फिट | सङ्कलन शुल्क<br>रु.४/-,<br>विक्री दर<br>रु.४।५०- |
| ४      | काठ दाउरा(दहतर बहतर समेत)                                                                                                                   | प्रति केजी         | सङ्कलन शुल्क<br>रु.६/-,<br>विक्री दर रु.७/-      |
| ५      | गत वर्ष सङ्कलन भई बाँकी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको स्टक प्रमाणित, नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन उद्योगको समेत (प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसार)           | प्रति क्यू.<br>फिट | ०।५०                                             |



खण्ड ८) अतिरिक्ताङ्क ३ प्रदेश राजपत्र भाग १ मिति २०८१।३।१३

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| ६  | निजी जग्गा वा व्यक्तिको स्वामित्वको जग्गाको ढुंगा, गिट्टी, रोडा, ग्राभेल, बालुवा विक्रीको लागि अनुमति दस्तुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्रति क्यू. फिट | २/-  |
| ७  | निजी जग्गा वा व्यक्तिको स्वामित्वको जग्गाको माटो, भरौट, बलौट, विक्रीको लागि अनुमति दस्तुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | प्रति घनफिट     | १।५० |
| ८  | माथि उल्लिखित सि.नं. १-४ सम्मको शुल्क सम्झौता गर्दाको बखत एकमुष्ट बुझाउने भएमा कबोल अंकमा १० प्रतिशत छुट गरी बाँकी रकम एकमुष्ट दाखिला गर्न लगाई सम्झौता गर्न सकिनेछ।<br>शुल्क सङ्कलनकर्ताले तोकिएको शर्त र सम्झौताको अवधिमा शुल्क दाखिला नगरेमा स्थानीय तहले सम्झौताको शर्त अनुसार गर्नुपर्ने छ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |      |
| ९  | "ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तर, बहत्तर" भन्नाले बहुमूल्य पत्थर, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्वका शालीग्राम, शिला र अति मूल्यवान् वस्तु बाहेकलाई सम्झनुपर्छ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |      |
| १० | व्यक्तिको निजी जग्गाबाट माटो विक्री गर्दा जग्गा धनीले नै कति घनफिट माटो विक्री गर्ने हो यकिन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिनु पर्नेछ। सो सम्बन्धमा स्थानीय तहले वार्षिक रूपमा तोकिएको दर अनुसार हुने एकमुष्ट शुल्क लिएर अनुमति दिन सक्नेछ।<br>सार्वजनिक जग्गा तथा स्थान बाहेक व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको निजी जग्गाको माटो, ढुङ्गा तथा प्राकृतिक स्रोत उत्खनन गर्दा निम्न कुरामा विचार गरेर मात्र स्थानीय तहले स्वीकृत दिनुपर्ने छः<br>(क) सौध सिमानामा पर्ने जग्गा धनीको लिखित स्वीकृत भएको हुनुपर्ने छ।<br>(ख) माटो उत्खननबाट प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग, सार्वजनिक तथा मानवीय वासस्थान, भौगोलिक संरचना, सौध सिमानामा रहेको छिमेकीको जग्गाको संरचना, कुलो नहर, सडक, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत भवन लगायतको संरचना आदिमा कुनै किसिमको असर नपर्ने हुनुपर्ने छ। |                 |      |
| ११ | यस अघि प्रदेशभित्र उत्पादन हुने सिमेन्टमा प्राकृतिक स्रोत उपयोगबाट प्रति बोरा लगाइएको तिर्न बाँकी शुल्क २०८१ पुस मसान्त सम्ममा प्रचलित दरका आधारमा एकमुष्ट ५० प्रतिशत बुझाएमा बाँकी शुल्क, जरिवाना र ब्याज छुट दिइनेछ। यसरी सङ्कलित भएको शुल्क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |      |

खण्ड ८) अतिरिक्ताङ्क ३ प्रदेश राजपत्र भाग १ मिति २०८१।३।१३

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>स्थानीय तहले सङ्कलन गरी ४० प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने छ ।</p> <p>यस्तो शुल्क सङ्कलनको लागि स्थानीय तहले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, उद्योग विभाग वा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, टूला वा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयसँग समन्वय गरी बक्यौता शुल्क सङ्कलन गर्न सक्नेछ ।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १२ | <p>खोला वा नदीले बहाव परिवर्तन गरी वा नगरी निजी जग्गा वा व्यक्तिको स्वामित्वको जग्गाबाट बग्ने खोला वा नदी किनाराको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, दहतर बहतरको विक्री गर्दा खोला वा नदीको दुवै तर्फको किनारासम्म रहेको प्राकृतिक स्रोतलाई स्थानीय तहले सि.नं. १-४ सम्मको दरमा विक्री गर्नुपर्ने छ ।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १३ | <p>प्रदेशभित्र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा अन्य कुनै निकायको टेक्का अनुसार पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार लगायतका कार्य गर्दा आयोजना स्थलबाट प्राप्त हुने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, चुनढुङ्गा, ग्राभेल, खरीढुङ्गा वा स्लेट लगायतका प्राकृतिक स्रोतको हकमा आयोजनाको टेक्का सम्झौता वा स्थानीय तहसँगको सम्झौतामा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ ।</p> <p>तर त्यस्तो टेक्का सम्झौतामा उल्लेख नभएको वा सम्झौता नभएको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहले यस ऐन बमोजिम आयोजना स्थलबाट प्राप्त प्राकृतिक स्रोतको विक्री गरी प्राप्त हुने शुल्क स्थानीय तहको विभाज्य कोषमा दाखिला गरी यस ऐन बमोजिम बाँडफाँट गर्नुपर्ने छ ।</p> |
| १४ | <p>व्यक्तिको वा उद्योगको निजी स्वामित्वको जग्गाको माटो आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि उखनन गर्दा यस अनुसूची बमोजिमको शुल्क लाग्ने छैन । तर, व्यापारिक प्रयोजनमा विक्री गर्दा शुल्क लाग्नेछ ।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १५ | <p>एक भन्दा बढी स्थानीय तहमा फैलिएको वा सीमानामा रहेको प्राकृतिक स्रोतको हकमा कुनै एक स्थानीय तहले शुल्क सङ्कलन गरी त्यस्ता स्थानीय तहहरूबीच राजस्व बाँडफाँट सम्बन्धी कुनै सम्झौता वा करार भएको हकमा सोही बमोजिम र त्यस्तो सम्झौता वा करार नभएको हकमा ६० प्रतिशतले हुन आउने रकम त्यस्ता स्थानीय तहहरू बीचमा समान अनुपातमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने छ र ४० प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने छ ।</p>                                                                                                                                                                                                       |

खण्ड ८) अतिरिक्ताङ्क ३ प्रदेश राजपत्र भाग १ मिति २०८१।३।१३

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १६ | स्थानीय तहले दण्ड, जरिवाना गरी जफत गरेको दुग्गा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर बहत्तर, प्राकृतिक स्रोत विक्री गर्दा यस अनुसूचीमा तोकिएको शुल्क वा दरमा विक्री गर्न सक्नेछ ।                                                                                                                                                                                          |
| १७ | स्थानीय तहले खोला, नदी वा सार्वजनिक स्थलको प्राकृतिक स्रोत विक्री गर्दा प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी ठेक्का प्रक्रियाबाट मात्र सङ्कलन तथा विक्री गर्नुपर्ने छ ।<br>अमानतबाट प्राकृतिक स्रोत सङ्कलन तथा विक्री गर्न पाइने छैन ।<br>स्थानीय तहले घाटगद्दी गरी सोझै प्राकृतिक स्रोत विक्री गर्दा तोकिएको विक्री दर अनुसार मूल्य कायम गर्नुपर्ने छ । |
| १८ | स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोत विक्रीको लागि ठेक्का खोलेकोमा त्यस्तो ठेक्का सम्बन्धी विवरण ठेक्का लागेको एक महिनाभित्र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले समय समयमा त्यसरी बुझाउनुपर्ने विवरणको ढाँचा निर्धारण गरी स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।                                                     |
| १९ | कुनै स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको प्राकृतिक स्रोत विक्री बापतको रकम बाँडफाँट गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला नगरेमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिइने वित्तीय समानीकरण अनुदान वा सवारी साधन करको रकमबाट कट्टा गर्न सक्नेछ ।                                                                                                          |

१ ठेक्कामा लगाइने रठेक्कामा नलागेको र नपरेकोमा माथि उल्लेख भएबमोजिम हुने र ठेक्का लागेकोमा सोही बमोजिम हुने ।

२ यस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसमा गाउँ कार्यापालिकाले गरेको निर्णय बमोजिम हुने छ ।

३ ठेक्का नलागेको अवस्थामा गाउँपालिका सँग, आवश्यक र अनाधिकृत रुपमा राजस्व नबुजाई अनियमित ढङ्गले नदिजन्म पदार्थ उत्खनन, निकासी गरेको पाईएमा निम्न बमोजिम जरिवाना असुल उपर गरीने छ ।



| समान    | पहिलो पटक                  | दोस्रो पटक                 | तेस्रो पटक                 |
|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|         | प्रति ट्रयाक्टरप्र/ति ट्रक | प्रति ट्रयाक्टर प्र/तिट्रक | प्रति ट्रयाक्टर प्र/तिट्रक |
| हुँगा   | १५००//४५००                 | ३०००/९०००                  | ६०००/१८०००                 |
| बालुवा  | १०००/३०००                  | २०००/६०००                  | ४०००/१२०००                 |
| ग्राभेल | १०००/३०००                  | २०००/६०००                  | ४०००/१२०००                 |
| गिट्टी  | १५००/४५००                  | ३०००/९०००                  | ६०००/१८०००                 |

तेस्रो पटक समेत जरिवाना गरपस्चात पुन चौधो पटक यो कार्य गरेमा सवारी साधन सहित जफत गरिने छ। माथि उल्लेख गरे बमोजिम जरिवाना बाट उठेको राजस्व को २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धीत प्रहरी चौकी लाई प्रोत्साहन स्वरुप उपलब्ध गराइने छ। र सूचना गोप्य रुपमा जानकारी गराउनेलाई १५% प्रोत्सान स्वरुप उपलब्ध गराइने छ।



अनुसूचा ११  
अन्य व्यवस्था

गाउँपालिका भित्र संचालित ग्राभेल उद्योग, खानी, सिमेन्टको कच्चा पदार्थ उद्योग लगायतका उद्योगले गाउँपालिकाको कार्यालयमा वार्षिक एक मुस्ट २०००० (बिस हजार)को रकम बुझाउनु पर्ने छ ।

➤ यस सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि बनाई करको दर निर्धारण गर्ने काम गाउँकार्यपालिकाले गर्नेछ ।

➤ राजश्व परामर्श समितिको सिफारिसमा गाउँकार्यपालिकाले करको दर निर्धारण गर्नेछ ।

१. व्याकहुलोडर रजेसिवि सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था गाउँपालिका मा रहेको व्याकहु लोडर गाउँपालिका भित्रका वा बाहिरका जो सुकै फर्म/ब्यावसाय/व्यक्ति/संस्था/ नागरीकले निश्चित शुल्क तिरेर /सम्झौता बमोजिम /निश्चित समयकालागि प्रयोग गर्न पाउने छन् ।

२ व्याकहुलोडरको शुल्क दर देहाय बमोजिम हुने छ ।

| क्र<br>स | विवरण                                                                                        | दरघन्टा/ | कैफियत                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १        | गाउँपालिका क्षेत्र भित्र (निर्माण कार्य)                                                     | १५००     | जसले लगने हो उसले तेल आफैले हाल्नु पर्ने छ ।                                                                                                                                                                        |
| २        | फसेको गाडी तान्न                                                                             | ३०००     | पालिकाले तेल हाल्ने                                                                                                                                                                                                 |
| ३        | गाउँपालिका क्षेत्र भित्र गाउँपालिकाको कार्यालयको गाडी र अन्य सरकारी गाडी फसेमा उद्धार वापत । | नलाग्ने  | गाउँपालिकाको गाडीको लागि चार्ज नलाग्ने<br>गाउँपालिका बाहेक अन्य सरकारी गाडीको प्रकृति हेरेर छुट वा १००० सम्म चार्ज लाग्ने अन्य सबै प्रकारका गाडीको लागि सम्बन्धीत गाडी धनिले तेल हाल्ने पर्ने र १५०० सुल्क लाग्ने । |

|  |  |  |                                                                     |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | गाउँपालिका भन्दा बाहिर सम्मबन्धीत पक्षले तेल हालि ५००० चार्ज लाग्ने |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|

२ व्याहु लोडर लग्ने सम्बन्धी सेवा ग्राही सबैले गाउँपालिका बाट लग्नेको र ल्याई पुर्याउने समय को लागत निजलेनै बेहोर्नु पर्ने छ । स्पष्टीकरण -लग्नेको र ल्याई पुरियाउने भन्नाले बाटोमा लग्नेको र ल्याएको घण्टा वापतको चार्ज भन्ने बुजिन्छ ।

३ गाउँपालिका भित्र वा बाहिरका उपभोक्ता समिति वा निर्माणमा व्यावसाहिले गाउँपालिका बाटै विनियोजित रकम को आयोजना सञ्चालन गर्न गाउँपालिकाको व्याकहु लोडरजेशि/वि लग्नेमा निर्माण कार्यसम्पन्न पश्चात भुक्तानी लिन आउदा गाउँपालिकाको आन्तरीक राजस्व खातामा रकम बुजाएको नगदी रसिद को सक्कल कपी राख्नु पर्ने छ ।

व्याकहु लोडर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था

- सार्वजनिक काम लाई पहिलो प्रथमिता दिइनेछ
- गाउँपालिका मातहत संचालीत आयोजनामा उपभोक्ता समितिहरुले पालिकाको व्याक लोडर प्रयोग नगरी अन्य निर्माण व्यवसायि को मेसिन प्रयोग गरेमा
- ठुलो मेसिन प्रयोग गरेम घण्टाको १०० पालिकालाई राजस्व बुजाउनु पर्ने सानो मेसीन प्रयोग गरेमा घण्टाको ५० पालिका लाई राजस्व तिर्न पर्ने ।
- पालिका भित्र काम गर्ने निर्माण व्यवसायिले हेब्बी मेसिन प्रयोग गर्दा उल्लेखित रकम भन्दा बढि रक लिन पाउने छैन ठुलो मेसिन प्रतिघण्टा ६५०० VAT सहित/सानो मेसिन प्रति घण्टा ३००० VAT सहित (

४ निम्न बमोजिमको सम्झौता पेपरमा सम्झौता नगरी र नगदी रसिद नकाटी गाउँपालिकाको जेसिविव्याकहु लोडर कसैले पनि लग्न पाउने/ छैन ।

सम्झौताको विवरण

सुनकोशी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

मुखर्क ओखलढुंगा

मिति: २०८०/ /

आ.व.

दर्ता नं .

विषय : सम्झौता सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत सम्बन्धमा सुनकोशी गाउँपालिका ओखलढुंगाको व्याकहुलोडर रजेसिबि गाउँपालिकाको कार्यालयबाट डिडाय देखि गाउँपालिका ल्याई पुर्याउन जेल सम्म मेरो जिम्मामा रहनेछ । मेरो जिम्मामा रहेसम्म मेरो रम पक्षको कुनै लापरवाही वाट जेसिवी वा जेसिविको कुनै पाट पुर्जा विग्रन भत्कन रक्षति हुन गएमा सोको मर्मतरसमान फेर्ने जिम्मा मेरो र म बुझिलिने..... हुने छ ।

बुझिलिने

कार्यालयको तर्फ बाट

नाम

नाम

फोन नम्बर

पद

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

ठेगाना दस्तखत

दस्तखत

डिजिटल ९ मिटर घन्टा नम्बर ..... देखि सुरु

५. गाउँपालिकाको व्याकहुलोडर रजेसिबि सञ्चालन लाई व्यवस्थित गर्न गाउँ कार्यपालिकाले यस ऐन बमोजिमको व्यवस्था सँग मेल खाने गरी एक कार्यविधि बनाई लागु गर्न सक्ने छ ।

बन्य कर

लिखत प्रमाणित मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ दफा ३६ अनुसार लिखत प्रमाणित गर्न ५ लाख सम्म न्युनतम १०००/- त्यस पछि प्रतिलाख थप १०० का दरले ।

गाउँपालिका मातहत संचालित ल्याब, पशु औषधी आदिमा प्रति पटक तपसिल बमोजिम कर लाग्नेछ ।

छाउँने तथा सोलिङ्ग ढुंगा पलिकाबाट बाहिर निकासी दस्तुर प्रति द्याक्टर रु ३५० र प्रतिटिफर रु १०००

पशु चौपाय गाई भैंसि, गोरु, राँगा प्रति गोटा/प्रतिपटक रु ५०

खसी बाखा गोटा प्रति पटक रु. २०

#### ल्याब

प्रति मान्छे प्रति पटक रु. ५०

#### न्यायिक दस्तुर

न्यायिक निवेदन दस्तुर रु २०

उजुरी दस्तुर रु २००

#### विशेष व्यवस्था

करमा हुने जरिवाना

क. यस ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेकय; गाउँपालिकाले यो ऐन बमोजिम लगाइएका वार्षिक एकमुष्ट तिर्ने कर तथा शुल्क २०८०असार मसान्तभित्र नबुझाएमा निम्नानुसार जरिवाना गरिनेछ .

| समय अवधि                                | कर रकममा थप हुने जरिवाना प्रतिशत |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| २०८०साउन १ देखि २०८०असोज मसान्त सम्म    | १०%                              |
| २०८० असोज १ देखि २०८० पुष मसान्त सम्म   | २५%                              |
| २०८० माघ १ देखि २०८० चैत्र मसान्त सम्म  | ५०%                              |
| २०८१ वैशाख १ देखि २०८१ असार मसान्त सम्म | ७५%                              |
| २०८१ साउन १ देखि                        | १००%                             |
| त्यसपछि प्रत्येक वर्षको थप              | १००%                             |



ख) गाउँपालिकाको कार्यालयमा राजस्व उठाउने कर्मचारीले हरेक हप्तामा एक पटक र बडा कार्यालयमा राजस्व उठाउने कर्मचारीले हरेक महिना को राजस्व महिना बितेको सात दिन भित्र गाउँपालिकाको आन्तरीक राजस्व खातामा जम्मा गरी सोको बैङ्क भौचर र राजस्व शिर्षकगत फाँटवारी लेखा शाखामा बुझाउनु पर्ने छ । मिति नाघेर राजस्व बुझाएमा हरेक पटक (गाउँपालिकाको हकमा प्रत्येक हप्ता काटेको कुल राजस्वको र वडाको हकमा प्रत्येक महिना काटेको कुल राजस्व )को दश प्रतिशतले हुन आउने रकम जरिवाना सम्बन्धीत राजस्व उठाउने कर्मचारी लाइ लाग्ने छ । यस दफा लाइ वेवास्था गरी राजस्व नबुझाउने कर्मचारिको तलब भत्ता रोक्का गरीनुका साथै समयमा राजस्व नबुझाएमा तलब भत्ता बाट कट्टा गरी जरिवाना असुल उपर गरीने छ ।

१०. गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्राभल एजेन्सी, फनपार्क, ग्लाइडिङ, वाटर प्याफ्टीङ, ट्रेकिङ, बन्जी जम्पिङ्ग, पदयात्रा, घोडचढी आदि जस्ता व्यवसाय सञ्चालनमा तपशिल बमोजिम शुल्क लाग्नेछ ।

| ट्राभल्स, टुर्स एण्ड मनोरञ्जन                                               | बा.व. २०८०/८१को रु. |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| क) ट्राभल एजेन्सी, ग्लाइडिङ, वाटर प्याफ्टीङ, ट्रेकिङ, , आदि जस्ता व्यवसायमा | ११०००               |
| ख) फनपार्क, पदयात्रा, घोडचढी आदि                                            | ८२५०                |

निजी स्तरका विद्यालय स्थापना तथा तहवृद्धि सम्बन्धी सिफारिस गर्दा माध्यमिक विद्यालयको लागी रु.

५, ०००/- र आधारभूत तहको लागी रु. १, ०००/-

य) सामुदायिक/सरकारी विद्यालयको तहवृद्धि सम्बन्धी सिफारिस रु.५००/-

र) गाउँपालिकाको स्वामित्व रहेका पिच सडक काटने स्वीकृत रु. ५, ०००/-

ल) शिक्षक तथा कर्मचारी सुरुवा सहमती सिफारिस दस्तुर (जिल्ला भित्र)

क खरिदार स्तर भन्दा तल्लो रु.२००/-

ख खरिदार स्तर रु.५००/-

ग नासु स्तर वा सो सरह रु.७००/-

घ अधिकृत स्तर वा सो सरह रु.१०००/-

ङ अधिकृत स्तर भन्दा माथिल्लो स्तर जुनसुकै रु. १५००/-

च .शिक्षक तथा कर्मचारी सुरुवा सहमती सिफारिस दस्तुर (जिल्ला बाहिरा)

क खरिदार स्तर भन्दा तल्लो रु.५००/-

ख खरिदार स्तर वा सो सरह रु.१०००/-

ग नासु स्तर वा सो सरह रु.१५००/-

घ अधिकृत स्तर वा सो सरह रु.२०००/-

खण्ड-८ भाग-१ सङ्ख्या-१ सुनकोशी स्थानीय राजपत्र प्रकाशित मिति २०८१/०३/१०

| अनुसूची २<br>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १५६ (बमोजिम) |                           |                           |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| खेत                                                      |                           |                           |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| प्रकार                                                   | १ देखि ३<br>रोपनी न्यूनतम | ४ देखि ९<br>रोपनी न्यूनतम | १० देखि १९<br>रोपनी न्यूनतम | २० देखि २९<br>रोपनी न्यूनतम | ३० देखि ३९<br>रोपनी न्यूनतम | ४० देखि ४९<br>रोपनी न्यूनतम | ५० देखि ५९<br>रोपनी न्यूनतम | ६० देखि ६९<br>रोपनी न्यूनतम | ७० देखि ७९<br>रोपनी न्यूनतम |
| अव्वल                                                    | ३०                        | ४०                        | १५                          | १७                          | २०                          | २५                          | ३०                          | ४०                          | ६०                          |
| दोयम                                                     | ३०                        | ४०                        | १४                          | १६                          | १८                          | २२                          | २५                          | ४५                          | ५५                          |
| सिम                                                      | २०                        | ४०                        | १३                          | १५                          | १६                          | २०                          | २३                          | ४०                          | ५०                          |
| चाहार                                                    | २०                        | ४०                        | १२                          | १४                          | १५                          | १७                          | २०                          | ३५                          | ४५                          |
| पाखो तथा बारी                                            |                           |                           |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| प्रकार                                                   | १ देखि ३<br>रोपनी न्यूनतम | ४ देखि ९<br>रोपनी न्यूनतम | १० देखि १९<br>रोपनी न्यूनतम | २० देखि २९<br>रोपनी न्यूनतम | ३० देखि ३९<br>रोपनी न्यूनतम | ४० देखि ४९<br>रोपनी न्यूनतम | ५० देखि ५९<br>रोपनी न्यूनतम | ६० देखि ६९<br>रोपनी न्यूनतम | ७० देखि ७९<br>रोपनी न्यूनतम |
| अव्वल                                                    | ३०                        | ४०                        | १४                          | १६                          | १८                          | २०                          | २५                          | ३०                          | ४०                          |
| दोयम                                                     | २५                        | ४५                        | १०                          | १२                          | १४                          | १६                          | २०                          | २५                          | ३०                          |
| सिम                                                      | २०                        | ४०                        | ५                           | १०                          | १२                          | १४                          | १६                          | २०                          | २५                          |
| चाहार                                                    | २०                        | ३५                        | ६                           | ५                           | १०                          | १२                          | १४                          | १८                          | २०                          |

उ) अधिकृत स्तर भन्दा माथिल्लो स्तर जुनसुकै रु.३०००/-

१४. माथि उल्लेखित भएकोमा सोहि बमोजिम र माथि कहिकतै उल्ले भएका बाहेक सुनकोशी गाउँपालिकाको दर्ता, नविकरण तथा सिफारिस दस्तुरको दर :

| क्र.स. | विवरण                                                                                                                                                       | इकाई    | प्रति इकाई दर रु. | कैफियत |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|
| १      | गैर सरकारी संघ संस्था दर्ता सिफारिस दस्तुर                                                                                                                  | सिफारिस | २०००              |        |
| २      | रु.१ लाख भन्दा कम आर्थिक कारोबार गर्ने को लागि नविकरण दस्तुर                                                                                                | सिफारिस | ५००               |        |
| ३      | रु. १ लाख देखी रु.५ लाख भन्दा कम आर्थिक कारोबार गर्नेको लागि नविकरण दस्तुर                                                                                  | सिफारिस | ७००               |        |
| ४      | रु.५ लाख देखी रु. १० लाख भन्दा कम आर्थिक कारोबार गर्नेको लागि नविकरण दस्तुर                                                                                 | सिफारिस | १०००              |        |
| ५      | रु.१० लाख आर्थिक कारोबार गर्नेको लागि नविकरण दस्तुर                                                                                                         | सिफारिस | १५००              |        |
| ६      | रु.१० लाख भन्दा माथी आर्थिक कारोबार प्रतिलाख थप नविकरण दस्तुर                                                                                               | सिफारिस | २५                |        |
| ७      | प्रकोप व्यवस्थापन विशेष कोष दस्तुर : गैरसरकारी संस्थाहरुको कारोबार(प्राप्ती) अडको ०.१ प्रतिशत वा न्युनतम रु.२०/-मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही रकम बराबरको दस्तुर |         |                   |        |
| ८      | खानेपानी मुहान दर्ता दस्तुर                                                                                                                                 | सिफारिस | १०००              |        |
| ९      | सिंचाई मुहान दर्ता दस्तुर                                                                                                                                   | सिफारिस | १०००              |        |
| १०     | खानेपानी र सिंचाई उपभोक्ता समिति नविकरण                                                                                                                     | सिफारिस | ५००               |        |
| ११     | व्यक्तिगत घटना दर्ता(पंजीकरण) वुटी/गल्ली सच्याउने/सच्याउन सिफारिस गर्ने दस्तुर                                                                              | सिफारिस | १००               |        |
| १२     | विभिन्न संघ संस्था वा समितिहरुलाई योजना/आयोजना/कार्यक्रम आदिको मागको लागि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुमा सिफारिस वापत प्रति सिफारिस दस्तुर                 | सिफारिस | २००               |        |
| १३     | विभिन्न संघ संस्था वा समितिहरुलाई योजना/आयोजना/कार्यक्रम आदिको मागको लागि विभिन्न विदेशी निकायहरु तथा दावृ निकायहरुमा सिफारिस दस्तुर                        | सिफारिस | १०००              |        |
| १४     | कुनै विज्ञ/पेशागत कार्य/अध्ययन अनुसन्धान कार्य गर्न अनुमति वा सिफारिस दस्तुर                                                                                | सिफारिस | १०००              |        |
| १५     | लघु जलविद्युत आयोजना(१ मेघावट भन्दा कम ) को सर्वेक्षण अनुमती/सिफारिस दस्तुर                                                                                 | सिफारिस | १०००              |        |



|    |                                                                           |             |       |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|
| १६ | लघु जलविद्युत आयोजना(१ मेघावट भन्दा कम ) को निर्माण अनुमती/सिफारिस दस्तुर | सिफारिस     | १०००० |      |
| १७ | जलविद्युत आयोजना १० मेघावट भन्दा माथि सर्वेक्षण अनुमती सिफारिस दस्तुर     | सिफारिस     | ५००   |      |
| १८ | क श्रेणीको निर्माण व्यवसायीको इजाजत पत्र प्रदान दस्तुर                    | सिफारिस     | ५०००  |      |
| १९ | ख श्रेणीको निर्माण व्यवसायीको इजाजत पत्र नविकरण दस्तुर                    | सिफारिस     | ४०००  |      |
| २० | ग वर्गको ठेक्का नामसारी गर्नको लागि सिफारिस दस्तुर                        | सिफारिस     | ३५००  |      |
| २१ | घ श्रेणीको निर्माण व्यवसायीको कम्पनीमा दर्ता गर्न सिफारिस दस्तुर          | सिफारिस     | ५०००  | ३००० |
| २२ | सस्था दर्ता को लागि                                                       | सिफारिस     | ५००   |      |
| २३ | सस्था नविकरण                                                              | सिफारिस     | ३००   |      |
| २४ | कृषी समुह दर्ता                                                           | दर्ता       | ५००   |      |
| २५ | कृषि समुह नविकरण                                                          | दस्तुर      | २००   |      |
| २६ | संस्था, फर्म तथा समुहहरु सुचिकृत                                          | दस्तुर      | २००   |      |
| २७ | जुनसुके प्रतिलिपि सेवा शुल्क                                              | दस्तुर      | २००   |      |
| २८ | नोट म्याद नाधि आएको नविकरणको हकमा जरिवाना                                 | वार्षिक     | १००   |      |
| २९ | सहकारी                                                                    | दर्ता शुल्क | १०००  | ५००  |

१९.गाउँपालिका भित्र नयाँ विद्यालय स्थापना गर्दा मुहृती खाता धरोटी रकम:

| क्र.सं. | विद्यालयको तह                 | धरोटी रकम      |               | कैफियत |
|---------|-------------------------------|----------------|---------------|--------|
|         |                               | सामुदायिक तर्फ | संस्थागत तर्फ |        |
| १       | आधारभूत तह ५ कक्षा सम्म       | ५० हजार        | १ लाख         |        |
| २       | आधारभूत तह ६ देखि ८ कक्षासम्म | १ लाख          | २ लाख         |        |
| ३       | माध्यामिक तह ९ र १० का लागि   | २ लाख          | ४ लाख         |        |
| ४       | माध्यामिक तह ११ र १२ का लागि  | १० लाख         | १० लाख        |        |



२०. विद्यालय स्थापना तथा नविकरण शुल्क:

| क्र.सं. | विद्यालयको तह                 | घरौटी शुल्क    |               | कैफियत |
|---------|-------------------------------|----------------|---------------|--------|
|         |                               | सामुदायिक तर्फ | संस्थागत तर्फ |        |
| १       | आधारभूत तह ५ कक्षा सम्म       | १० हजार        | २० हजार       |        |
| २       | आधारभूत तह ६ देखि ८ कक्षासम्म | २० हजार        | ४० हजार       |        |
| ३       | माध्यामिक तह ९ र १० का लागि   | ३० हजार        | ६० हजार       |        |
| ४       | माध्यामिक तह ११ र १२ का लागि  | ४० हजार        | ८० हजार       |        |

सिफारिस सम्बन्धमा

यस ऐनमा कही कतै नाम तोकी उल्लेख नभएको अन्य विविध सिफारिसका लागि सिफारिस दस्तुर रु २००० दुइ हजार रुपैया लाग्ने छ ।

उपभोक्ता समिति बाट काम गर्दा गराउँदा कट्टा हुने रकम

उपभोक्ता समिति बाट काम गराउँदा कुल ४प्र ५.तिशत कन्टेन्जेन्सी लाग्ने छ । ४प्र ३मध्ये ५.तिशत कार्यालयले कट्टा गर्ने छ, भने १प्र ५.तिशत उपभोक्ता समितिले नै समिति बापत पाउने छ ।

उपभोक्ता समितिले गाउँपालिकाको व्याकहुलोडर प्रयोग नगरी बाह्य निर्माण व्यावसायीबाट हेभि मेसिन प्रयोग गरेमा ठुलो मेसिन प्रयोग गरे घन्टाको रुरुपैया पा ५०२ सानो मेसिन प्रयोग गरे घन्टाको रु १००.लिकामा बुझाउनु पर्ने छ ।

उपभोक्ता समिति बाट काम गराउदा माथि उल्लेख गरीए बाहेक प्रचलित नियम कानुनअनुसार कट्टा हुने अन्य करहरु समेत कट्टा हुने छ ।

योजना किताब प्रति उपभोक्ता समितिबाट प्रतिकिताब रु. १००/- बुझाउनुपर्नेछ ।

२.बालुवा, गिट्टी, रोडा, ढुंगा बिक्री दर

| क्र.सं. | विवरण                                                 | इकाई    | प्रति इकाई दर रु.        | कैफियत       |
|---------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------|
| १       | बालुवा, गिट्टी, रोडा, ढुंगा, ग्राभेल तथा लोहोरे ढुंगा | घन मिटर | कोशी प्रदेश कानुन अनुसार | मु.अ.क.बाहेक |

३. खानी जन्य पदार्थ निकासी करको दर :

| क्र.सं. | विवरण                           | इकाई       | प्रति इकाई दर रु. | कैफियत |
|---------|---------------------------------|------------|-------------------|--------|
| १       | खरिदुङ्गा                       | मेट्रिक टन | ६०.००             |        |
| २       | म्याग्नेसाइट ढुङ्गा             | मेट्रिक टन | ५०.००             |        |
| ३       | भुइँमा विछ्याउने चप्लेटी ढुङ्गा | वर्ग फिट   | २.००              |        |

|   |                                                         |          |                                    |
|---|---------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|
| ४ | छाना छाउने स्लेट ढुङ्गा                                 | वर्ग फिट | २.००                               |
| ५ | बालुवा, गिट्टी, रोडा, ढुङ्गा, ग्रामेल तथा लोहोरे ढुङ्गा | घन मिटर  | कोशी प्रदेश<br>आर्थिक ऐन<br>अनुसार |

**पर्यटन शुल्क**

| विवरण                  | रकम प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन |  |
|------------------------|---------------------------|--|
| नेपाली पर्यटक          | निशुल्क                   |  |
| भारतीय तथा सार्क मुलुक | १००/-                     |  |
| चिनियाँ पर्यटक         | १५०/-                     |  |
| अन्य मुलुक             | ५००/-                     |  |

१५) फोहरमैला व्यवस्थापन सेवा शुल्क (मासिक) निम्नानुसार लगाईने छ :

क) आवासीय घर ३ तल्ला सम्म रु. ५०/-

ख) ४ तल्ला वा सो भन्दा माथि रु. १००/-

ग) पसल सटर भए प्रति पसल थप रु. १००/-

घ) सामान्य प्रकृतिका होटल, रेष्टुरेन्ट थप रु. १५० /-

ङ) ठुला प्रकृतिका होटल लज रु. ५००/-

च) हस्पिटल रु. १, ५००/-

छ) अन्य संघ संस्था रु. ५००/-

ज) अन्यको हकमा तथा सेवा शुल्क निर्धारणमा कठिनाई उत्पन्न भएमा व्यवसायको प्रकृति हेरी गाउँपालिकाको निर्णय बमोजिम हुनेछ।

१६. वादविवाद (मुद्दा) सम्बन्धी निवेदन दर्ता रु. १००/-

१७. नक्शापास गर्ने आवेदन पुस्तिका रु. १, ००/- प्रतिगोटा (विपत व्यवस्थापन शुल्क रु. ५०/- (बजार क्षेत्र) रु. २०/- (ग्रामीण क्षेत्र) थप गर्ने ।

१८. घर नक्शा पास तथा निर्माण स्वीकृति दस्तुर:

क) बजार क्षेत्रमा

१) घर निर्माण अनुमति लिन आवश्यक कागजात सहित रु. ५००/- शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।

२) नक्शा पास गर्दा आर.सी.सी. ढलान घर प्रतिवर्गफिट ३ तल्ला सम्म पीच भएको क्षेत्रमा रु. ३/- पीच नभएको क्षेत्रमा रु. २/-, ४ चार तल्ला देखि ५ तल्ला सम्म पीच

- भएको क्षेत्रमा रु. ५/- पीच नभएको क्षेत्रमा रु. ३/- र सौ भन्दा माथि पीच भएको क्षेत्रमा रु. ६/-, पीच नभएको क्षेत्रमा रु. ४/- प्रतिवर्गफिटका दरले । नक्शापास नगरी बनाएकोमा तोकिएको शुल्कमा १०० प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने छ ।
- २) आर.सी.सी. बाहेक पक्की घर प्रतिवर्ग फिट रु. २/- पीच भएको क्षेत्रमा रु. १/- पीच नभएको क्षेत्रमा रु. १/- । नक्शापास नगरी बनाएकोमा तोकिएको शुल्कमा १०० प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने छ ।
- ३) फुसको (टिन) छाना भएको घर प्रतिवर्ग फिट पीच भएको क्षेत्रमा रु. १/- पीच नभएको क्षेत्रमा रु. ०.५०/- । नक्शापास नगरी बनाएकोमा तोकिएको शुल्कमा १०० प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने छ ।
- ख) ग्रामिण क्षेत्रमा (तीन तल्ला सम्मका लागि मात्र)
- १) आर.सी.सी. ढलान घर प्रतिवर्ग फिट सडक बाटो भएको क्षेत्रमा रु. १/५० सडक बाटो नभएको क्षेत्रमा ०.७५/- । नक्शापास नगरी बनाएकोमा तोकिएको शुल्कमा ५० % थप दस्तुर लाग्ने छ ।
- २) आर.सी.सी. बाहेकका पक्की घर प्रतिवर्ग फिट सडक बाटो भएको क्षेत्रमा रु. ०.५०/- सडक बाटो नभएको क्षेत्रमा रु. ०.२५/- । नक्शापास नगरी बनाएकोमा तोकिएको शुल्कमा १०० प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने छ ।
- ४) ग्रामिण क्षेत्रमा ३ तल्ला भन्दा माथि निर्माण भए बजार क्षेत्र बराबर हुनेछ ।
- ग) गाउँपालिका गठन हुनु अगाडि निर्माण भएका घरहरुका घरधनीले घर दर्ता गरी निर्माण सम्पन्न गरेको प्रमाण कागजात खोजेमा हाल कायम रहेको नक्सापास दस्तुरको ७५ प्रतिशत दस्तुर लिई प्रमाण कागजात उपलब्ध गराईने छ । गाउँपालिका गठन हुनु अगाडि गाविसको कार्यालयबाट नक्शा पास भएका घरहरु गाउँपालिकाले पास गरे सरह हुनेछ ।
- घ) नक्शा पास/निर्माण सम्पन्न भएका घरहरुको नामसारी गर्नु पर्दा हाल कायम रहेको नक्सापास दस्तुरको १० प्रतिशत वा न्यूनतम मुल्य रु. १, ०००/- मध्ये जुन बढी हुन आउँछ सोहि अनुसारको दस्तुर लिई नामसारी गरिने छ ।
- ङ) नक्शापास प्रमाण-पत्र र घर निर्माण सम्पन्न प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपी दस्तुर रु. ५००/- लिई प्रतिलिपी सरोकारवालालाई दिईने छ । Plinth level भन्दा माथि Super structure को नक्शा पास गरी निर्माण सम्पन्न प्रमाण-पत्र तोकिएको समयमा नलिएमा बिलम्ब दस्तुर रु. ३,०००/- वा लाग्ने राजश्वको २५ प्रतिशत मध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको थप दस्तुर लिई निर्माण सम्पन्न पत्र प्रदान गरिने छ ।



- च) घर निर्माणको लागि नक्सा पास गरे बमोजिम भन्दा फरक संरचना बनाएमा १०० प्रतिशत जरीवाना लिइने छ ।
- छ) घर निर्माणको लागि नक्सा पास गरे पनि २ वर्ष सम्म विविध कारणले घर निर्माण नगरेमा नक्सा पास शुल्क फिर्ता हुने छैन र सो अवधि पछि पुनः अनुमति तथा नक्सा पास लिनु पर्नेछ ।
- १ विद्यालय लेखा परिक्षणको लागि दर्ता शुल्क प्रतिव्यक्ति १००० फर्म रु /

**विशेष व्यवस्था -**

माथि शिर्षक तोकेर उल्लेख नभएको जुनसुकै कामको लागि दर्ता— १०० सिफारिस दस्तुर रु /

कुनै शिर्षको दोहोरो अर्थ लागे वा दुई ठाउँमा उल्लेखित दोहोरो अर्थ लागेमा जुन कम दर छ सोही दरमा कर लाग्ने छ ।

गाउँपालिकाको व्याकहुलोडर प्रयोग गाउँपालिका आफैले Earthworks in exavation, बाटो मर्मत गर्दा Quantity basis (घनमिटरमा) मुल्याङ्कन गर्दा इन्धनको मात्र भुक्तानी गर्ने अरु Operating कार्य पालिका आफैले गर्ने प्रयोजनमा घनमिटर मुल्याङ्कन तथा तेलको मुल्याङ्कन D.O.R ले तयार गरेको Norms प्रयोग गरि दररेट कायम गरिने छ ।



अनुसूची-३

**बहाल कर:**

क (गाउँपालिका क्षेत्र भित्र घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, कारखाना, पुरै वा आंशिक रुपमा बहालमा दिएकोमा बहाल रकमको १० प्रतिशत बहाल कर लाग्ने छ। जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक रुपमा बहालमा दिएकोमा २.५ प्रतिशत बहाल कर लाग्ने छ।

स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ५७ सँगसम्बन्धीत

गाउँपालिकाले आफ्नोक्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने घरजग्गा बहाल करको दर:

| क्र.सं. | विवरण                                                                                                                        | प्रतिशत |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| १       | यस गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड, कारखाना, आदि बहालमा दिएकोमा सम्बन्धीत धनीबाट बहालकर लिने | १०      |
|         | जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक रुपले भाडामा दिएकोमा                                                                            | 2.5     |

भवनको कोठा भाडा दर

| क्र.सं. | विवरण                | साउनड सिस्टम बाहेक दिनको | साउनड सिस्टम सहित दिनको | जेनेरेटरको प्रयोग गरेको                        |
|---------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| १       | गा.पा.को/बडाको सभाहल | २०००                     | ३०००                    | इन्दन खर्च सम्बन्धीत पक्षले ब्यहोरन पर्ने भाडा |

गाउँपालिकाको कवडहल सम्बन्धी व्यवस्था

- वार्षिक न्युनतम २०,००० नघट्ने गरी टेन्डरखोल्ने
- संक्षण गर्ने बत्ती बाल्ने सम्पुरण ठेकेदारको हुने
- पालिका र वडाको कार्यक्रम निशुल्कगर्न दिने
- बाहिरि खेलको दिनको १५००
- पटके खेलको प्रति रु. २०

आज्ञाले,

प्रमाणिकरण मिति २०८१/०३/१०

राम कुमार कार्की

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत